SSR-2018–2

ई–मेल / डाक

राजस्थान सरकार
(निर्वाचन विभाग)

क्रमांकः प.3(3)(1)रोल / निर्वा / 2nd SSR-2018 / 2018 / 3964 जयपुर, दिनांक 26/7/18

प्रेषक : मुख्य निर्वाचन अधिकारी,
राजस्थान, जयपुर।

प्रेषिति : समस्त जिला निर्वाचन अधिकारी
(कलक्टर) राजस्थान।

विषय : अर्हता दिनांक 01 जनवरी, 2018 के संदर्भ में विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की फोटोयुक्त मतदाता सूचियों का द्वितीय विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम।

प्रसंग : भारत निर्वाचन आयोग का पत्र क्रमांक 23/LET/ECI/FUNC/ERD-ER/2018 दिनांक 07 मई, 2018 एवं पत्र क्रमांक 23/LET/ECI/FUNC/ERD-ER/ 2018 दिनांक 20 जुलाई, 2018 एवं विभाग का समसंख्यक पत्रांक 2913 दिनांक 22 मई, 2018

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत भारत निर्वाचन आयोग के प्रासंगिक पत्र दिनांक 7 मई, 2018 (प्रति संलग्न) द्वारा संदर्भ तिथि 01.01.2018 के संदर्भ में राज्य के सभी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की फोटोयुक्त मतदाता सूचियों का **द्वितीय विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण** करने हेतु कार्यक्रम घोषित किया गया है। आयोग द्वारा निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार राज्य के सभी 200 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में मतदाता सूचियों का **प्रारूप प्रकाशन दिनांक 31 जुलाई, 2018 (मंगलवार)** को किया जायेगा तथा मतदाता सूचियों का **अंतिम प्रकाशन दिनांक 27 सितम्बर, 2018 (गुरूवार)** को किया जायेगा। आयोग द्वारा निर्धारित कार्यक्रम एवं पुनरीक्षण से पूर्व की जाने वाली प्रारम्भिक गतिविधियों की सूचना विभाग के प्रासंगिक समसंख्यक पत्रांक 2913 दिनांक 22.05.2018 के द्वारा आपको प्रेषित की गई है।

2. संदर्भ तिथि 01.01.2018 के संदर्भ में मतदाता सूचियों के द्वितीय विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम हेतु आयोग द्वारा निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार इस अवधि के दौरान आयोजित की जाने वाली गतिविधियों की तिथियों की ओर आपका ध्यान पुनः आकर्षित किया जाता है, जो कि निम्न प्रकार से है :–

1.	मतदाता सूचियों का प्रारूप प्रकाशन	31 जुलाई, 2018 (मंगलवार)
2.	दावे एवं आपत्तियॉ प्राप्त करने की अवधि	31 जुलाई, 2018 (मंगलवार) से 21 अगस्त, 2018 (मंगलवार)
3.	मतदाता सूचियों के संबंधित भाग की प्रविष्टियों का ग्रामसभा / स्थानीय निकाय एवं आवासीय वेलफेयर सोसाइटी के साथ बैठक आयोजित कर पठन करना एवं सत्यापन करना	11 अगस्त, 2018 (शनिवार) एवं 18 अगस्त, 2018 (शनिवार)
4.	राजनैतिक दलों के बूथ स्तरीय अभिकर्त्ताओं के साथ दावे एवं आपत्तियों के आवेदन पत्र प्राप्त करने की विशेष तिथियां	12 अगस्त, 2018 (रविवार) एवं 19 अगस्त, 2018 (रविवार)
5.	दावे एवं आपत्तियों का निस्तारण	20 सितम्बर, 2018 (गुरूवार) से पूर्व

6.	डेटाबेस अपडेट करना, फोटोग्राफ मर्ज करना, कन्ट्रोल टेबलस् को अपडेट करना एवं पूरक (Supplements) की तैयारी एवं मुद्रण	26 सितम्बर, 2018 (बुधवार) से पूर्व
7.	मतदाता सूचियों का अन्तिम प्रकाशन	27 सितम्बर, 2018 (गुरूवार)

3. एकीकृत मतदाता सूची, 2018 :

3.1 **एकीकृत प्रारूप मतदाता सूची–2018 की तैयारी** – कृपया इस विषय में विभाग के प्रासंगिक पत्र कमांक 2913 दिनांक 22.05.2018 का अवलोकन करें। संदर्भ तिथि 01.01.2018 के कम में दिनांक 22 जनवरी, 2018 को अन्तिम रूप से प्रकाशित **मतदाता सूची–2018** के पश्चात् इस वर्ष निरन्तर अद्यतन की प्रकिया में माह फरवरी–मार्च 2018 में **"सबल अभियान"** चलाया गया है, इसके फलस्वरूप राज्य में विशुद्ध रूप से 3.5 लाख से अधिक नए मतदाता जोड़े गए हैं के क्रम में तैयार पूरक सूचियों के आधार पर प्रारूप मतदाता सूची तैयार की जायेगी।

3.2. विभाग स्तर पर लिए गए निर्णयानुसार दिनांक 22 जनवरी, 2018 को अन्तिम रूप से प्रकाशित मूल मतदाता सूची के साथ संलग्न **पूरक सूची–1** एवं निरन्तर अद्यतन प्रकिया के दौरान दिनांक 31 मई, 2018 तक ERO Net पर निस्तारित किए गए आवेदन पत्रों के आधार पर तैयार की गई **पूरक सूची–2** का मूल मतदाता सूची में एकीकरण किया गया है। दिनांक 14 जून, 2018 से 30 जून, 2018 के मध्य तक ERMS पर एकीकृत प्रारूप मतदाता सूची की चैकलिस्ट की जॉच आप द्वारा की जाकर त्रुटिरहित प्रारूप मतदाता सूची की चैक लिस्ट तैयार करने की कार्यवाही की गई। (इस विषय में विभाग के प्रासंगिक पत्र क्रमांक 2913 दिनांक 22 मई, 2018 का पुनः अवलोकन करें।)

3.3. इस चैकलिस्ट की गहन जॉच करने के पश्चात् राज्य के सभी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के मतदान केन्द्रों के पुनर्गठन के विषय में दिनांक 1 जुलाई, 2018 से 15 जुलाई, 2018 के मध्य कार्यवाही करते हुए जिलेवार/ विधानसभा क्षेत्रवार प्रस्ताव विभाग को प्रेषित किए गए हैं, जिन पर विभाग स्तर पर परीक्षण किया जाकर भारत निर्वाचन आयोग का अनुमोदन हेतु प्रेषित किये गये हैं। तद्नुसार आप द्वारा प्रस्तावित/आयोग से अनुमोदित मतदान केन्द्रों की सूची के अनुसार प्रारूप मतदाता सूची, 2018 का ऑनलाईन मुद्रण प्रारूप प्रकाशन की तिथि दिनांक 31 जुलाई, 2018 से पूर्व किया जा जायेगा। इस विषय में विस्तृत दिशा–निर्देश विभाग के पत्र क्रमांक 2913 दिनांक 22.05.2018 एवं विडीयो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से प्रशिक्षण भी प्रदान किया गया। यह कार्यवाही सावधानी पूर्वक की जावे।

3.4. ERO Net पर विशुद्ध रूप से तैयार की गई भागवार प्रारूप मतदाता सूची के प्रारूप प्रकाशन निर्धारित दिनांक 31 जुलाई, 2018 को किया जाएगा। **इसलिए कृपया यह सुनिश्चित किया जाए कि जिले की अनुबंधित फर्म या अनुबंधित फर्म नहीं होने की स्थिति में वैकल्पिक व्यवस्था कर प्रारूप मतदाता सूची का समुचित संख्या में मुद्रण कराया जाना सुनिश्चित करें। इस विषय में जिला स्तर पर की गई कार्यवाही से अविलम्ब विभाग को अवगत कराया जाए।**

4. **द्वितीय विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण का उद्देश्य –**

4.1 भारत निर्वाचन आयोग द्वारा प्रत्येक वर्ष 01 जनवरी को आधार मानते हुए मतदाता सूचियों का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण किया जाता है। इस कार्य में आम नागरिक, पूर्व में पंजीकृत मतदाता, मान्यता प्राप्त राजनैतिक दल, मतदान केन्द्रों के लिए नियुक्त बूथ स्तरीय अभिकर्ताओं एवं गैर सरकारी संस्थाओं की सहभागिता सुनिश्चित की जानी है। इस विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम के दौरान निम्न कार्यवाही की जानी है –

4.1.1 अर्हता दिनांक 01.01.2018 के क्रम में मतदाता सूचियों का विशष संक्षिप्त पुनरीक्षण एक बार किया जाकर मतदाता सूचियों का अंतिम प्रकाशन दिनांक 22 जनवरी, 2018 को किया गया है। इसके पश्चात् भी निरन्तर अद्यतन की प्रक्रिया में माह **फरवरी–अप्रेल, 2018** तक **"सबल अभियान"** में संदर्भ तिथि 01.01.2018 को पात्र अवशेष मतदाताओं का पंजीयन किया गया है।

4.1.2. चूँकि राज्य के परिपेक्ष्य में इस वर्ष के अंतम में विधानसभा के लिये आम चुनाव सम्पन्न होंगे अतः संदर्भ तिथि 01.01.2018 के क्रम में आयोग द्वारा मतदाता सूचियों का **दूसरी बार विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण करवाया जा रहा है** ताकि जिन व्यक्तियों की आयु दिनांक 1 जनवरी, 2018 को 18 वर्ष या इससे अधिक है और जो मतदाता बनने के योग्य हैं तथा जिनके द्वारा अभी तक मतदाता सूची में पंजीकरण नहीं करवाया गया है उन्हें एक और मौका प्रदान कर मतदाता सूची में उनका नाम जोड़ा जा सके। **यह ध्यान रखा जाये कि इस द्वितीय विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम में संदर्भ तिथि 01.01.2018 ही रहेगी।**

4.1.3. मतदाता सूची में नाम जुडवाने की पात्रता रखने वाले व्यक्ति जो प्रथम बार नाम जुडवाने हेतु आवेदन कर रहे है या पूर्व में पंजीकृत मतदाता जो कि मतदाता सूची में अपनी गलत मुद्रित फोटो को ठीक करवाना चाहते हैं या मतदाता सूची में अपनी प्रविष्टि को अन्यत्र स्थानान्तरित करने हेतु आवेदन

करना चाहते हैं, वे स्वेच्छा से मतदाता फोटो पहचान पत्र बनवाने हेतु निर्धारित प्रपत्र ईपिक–001 में फोटो के साथ आवेदन कर सकेंगें, जिससे त्रुटियों की शुद्धि के साथ–साथ उनका मतदाता सूची में फोटो भी मुद्रित हो सके। इस विषय में विस्तृत दिशा–निर्देश आयोग की **"बूथ लेवल अधिकारियों की निर्देशिका"** में उपलब्ध हैं।

4.2 भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार मतदाता सूची के ऑकड़ों का विश्लेषण कर प्रारूप प्रकाशन की तिथि से पूर्व एवं अन्तिम प्रकाशन से पूर्व प्रपत्र 1–8 में ऑकड़ों का विश्लेषण किया जाता है तथा मतदाता सूची में निर्धारित विभिन्न ऑकड़ों में पाई गई कमियों को तद्नुसार आगामी विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम एवं निरन्तर अद्यतन की प्रक्रिया में पूर्ण करने का प्रयास किया जाता है। **आगामी द्वितीय पुनरीक्षण कार्यक्रम के दौरान विभाग द्वारा मतदाता सूची में शत–प्रतिशत पात्र युवाओं का पंजीकरण, विशेषयोग्यजन का पंजीकरण एवं महिलाओं का शत–प्रतिशत पंजीकरण करने के साथ–साथ त्रुटिरहित मतदाता सूचियॉ तैयार करने का लक्ष्य रखा गया है।** इस विषय में संक्षिप्त विवरण आगे के पैरा में निम्न प्रकार से दिया जा रहे हैं –

4.2.1. **18–19 आयु वर्ग के युवाओं का पंजीकरण** – संदर्भ तिथि 01.01.2018 के अंतर्गत निरन्तर अद्यतन की प्रकिया के दौरान राज्य में चलाए गए **"सबल अभियान"** के दौरान 18–19 आयु वर्ग के युवाओं का पंजीकरण किया गया है जिसके फलस्वरूप **निर्धारित मापदण्ड 4.23 प्रतिशत की तुलना में 2.04 प्रतिशत लक्ष्य की प्राप्ति की गई है।** संदर्भ तिथि 01.01.2018 के क्रम में यदि 18–19 आयु वर्ग की जनसंख्या का विश्लेषण किया जाए तो वर्तमान में **18–19 आयु वर्ग में 19 वर्ष की आयु के लगभग 15.63 लाख युवा मतदाता मतदाता सूची में पंजीकृत हैं।** इसी आयु वर्ग में शेष 16.80 लाख युवा जो कि 1 जनवरी, 2018 को 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके होंगे का पंजीकरण द्वितीय विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण के दौरान किया जाना है।

4.2.2. **इस हेतु जिला निर्वाचन अधिकारी (कलक्टर) जिलेवार, विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रवार एवं भागवार कार्ययोजना बनाकर युवाओं का पंजीकरण किया जाना सुनिश्चित करें। इस क्रम में जहॉ एक ओर घर–घर जाकर पात्र युवाओं का मतदाता सूची में नाम जोड़ने हेतु आवेदन पत्र प्राप्त किए जायेंगे, वहीं दूसरी ओर शैक्षणिक संस्थाओं में कैम्प आयोजित कर अथवा शैक्षणिक संस्थाओं की आवश्यकतानुसार प्ररूप 6 में नियमित रूप से भर कर प्राप्त किए जाएं ताकि कोई भी 18–19 आयु वर्ग के नवयुवक छात्र/छात्राएँ पंजीकरण से न छूटे।**

4.2.3. शैक्षणिक संस्थान में ब्रॉड एम्बेसेडर, मतदाता प्रहरी एवं नोडल अधिकारी की अवलिम्ब नियुक्ति की जाकर इन्हें पुनरीक्षण कार्यक्रम से पूर्व क्रियाशील किया जाकर युवाओं का पंजीकरण किया जाए, ताकि पुनरीक्षण कार्यक्रम के दौरान लक्ष्य की प्राप्ति की जा सके।

4.3 **विशेषयोग्यजन का पंजीकरण** – विगत वर्षों की भांति इस वर्ष निरन्तर अद्यतन की प्रकिया में **सबल अभियान** के दौरान **सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग से डेटाबेस प्राप्त कर तद्नुसार इसकी विधानसभा क्षेत्रवार मतदाता सूची के साथ मैपिंग की जाकर पात्र विशेष योग्यजनों का मतदाता सूची में पंजीकरण करने हेतु कार्यवाही की गई है। किन्तु इसके अभी तक शतःप्रतिशत परिणाम प्राप्त नहीं हुए हैं।** इसका विशलेषण तभी सम्भव होगा जबकि ERMS पर गत् अभियान के दौरान पूर्व से पंजीकृत ऐसे विशेष योग्यजन जो कि मतदाता सूची में पूर्व से पंजीकृत हैं से संबंधित सूचना ERMS पर अपडेट की जाए। **यह कार्यवाही दिनांक 30 मई, 2018 आप द्वारा पूर्ण कर ली गई होगी।**

4.3.1. इस विषय में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग से प्राप्त डेटा के अनुसार लगभग 5 लाख से अधिक ऐसे पात्र विशेष योग्यजन हैं जो या तो मतदाता सूची में मतदाता के रूप में पंजीकृत हैं तथा इसकी सूचना डेटाबेस में अपडेट नहीं की गई है अथवा ऐसे पात्र व्यक्ति भी हैं जिनका मतदाता सूची में पंजीकरण किया जाना शेष है। जिला निर्वाचन अधिकारियों (कलक्टर्स) से अनुरोध है कि विभाग द्वारा उपलब्ध करवाई गई इस सूचना के अनुसार यह सुनिश्चित कर लें कि जिलेवार/विधानसभा क्षेत्रवार 18 वर्ष की आयु से अधिक के कितने विशेष योग्यजन हैं। यह सूची सभी निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों को आवश्यक रूप से दिनांक **25 जुलाई, 2018 तक** उपलब्ध कराई जाए।

4.3.2. इस सूची के अनुसार निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि ऐसे कितन विशेष योग्यजन हैं जिनका कि पूर्व से मतदाता सूची में पंजीकरण है। तद्नुसार इनका डेटा अविलम्ब निर्धारित प्लेटफार्म पर अपडेट किया जाए। सूची में उपलब्ध ऐसे विशेष योग्यजन जिनका मतदाता सूची में पंजीकरण नहीं हुआ है उनसे संबंधित बीएलओ मोबाईल पर अथवा घर–घर सम्पर्क कर आवेदन पत्र भरवाकर प्राप्त करें ताकि शत–प्रतिशत विशेष योग्यजन का मतदाता सूची में पंजीकरण सुनिश्चित किया जा सके।

4.3.3. भारत निर्वाचन आयोग के पत्र क्रमांक 485/COMP/ERO-Net/2018 दिनांक 16 जुलाई, 2018 के द्वारा "Integrated Contact Centre" के माध्यम से विशेष योग्यजनों को उनके द्वारा तक मतदाता सूचियों में पंजीकरण की सुविधा प्रदान करने के निर्देश दिये गये हैं (प्रति संलग्न है)। इस विषय में विस्तृत दिशा निर्देश पृथक से प्रेषित किये जायेंगे, जिनकी पुनरीक्षण कार्यक्रम के दौरान पालना सुनिश्चित की जाए।

4.4.4. **महिलाओं का पंजीकरण** – जिला निर्वाचन अधिकारी (कलक्टर)/निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों से अनुरोध है कि वह विधानसभा क्षेत्रवार यह सुनिश्चित करें कि लिगांनुपात में कितना अन्तर है तथा भागवार बीएलओ के लिए लक्ष्य निर्धारित करें तथा लक्ष्य की प्राप्ति में बीएलओ के साथ ग्रामीण स्तर पर कार्यरत विभिन्न सरकारी विभाग के कार्मिक यथा ऑगनबाड़ी कार्यकर्ता, आशा सहयोगिनें, ए.एन.एम. आदि का सक्रिय सहयोग प्राप्त किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

5. **मतदाता सूचियों का प्रारूप प्रकाशन –**

5.1 इस संक्षिप्त पुनरीक्षण का आधार **फोटोयुक्त प्रारूप मतदाता सूची–2018** होगी। पैरा 3 के अनुसार प्रारूप मतदाता सूची–2018 जिला स्तर पर तैयार की जाएगी। जिला निर्वाचन अधिकारी इस विषय में यह सुनिश्चित करलें कि उक्त कार्य प्रारूप प्रकाशन हेतु निर्धारित तिथि 31 जुलाई, 2018 से पूर्व जिला स्तर पर आवश्यक रूप से पूर्ण करवा लिया जाए।

5.2 निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी प्रारूप प्रकाशन की तिथि 31 जुलाई, 2018 को प्रारूप मतदाता सूची को अपने कार्यालय एवं इसके पृथक–पृथक भाग की प्रति निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण नियम, 1960 में वर्णित प्ररूप 5 में सूचना की प्रति सहित प्रत्येक मतदान केन्द्र एवं यथा सम्भव स्थानीय निकाय पर जनता के निरीक्षण हेतु उपलब्ध करायेंगे। प्ररूप–5 में प्रकाशित सूचना का प्रचार–प्रसार भी किया जावेगा। **सभी जिला निर्वाचन अधिकारी प्रारूप प्रकाशन की सूचना दिनांक 31 जुलाई, 2018 को समस्त निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी से प्राप्त कर उसी दिन मुख्य निर्वाचन अधिकारी को जरिये ईमेल/फैक्स/दूरभाष पर प्रेषित करेंगे।**

5.3 **विभाग की वैबसाईट पर प्रारूप मतदाता सूची, 2018 का प्रकाशनः**

पैरा 5.2 के अनुसार निर्धारित दिनांक को विनिर्दिष्ट स्थानों पर प्रारूप मतदाता सूची, 2018 का प्रकाशन किया जायेगा तथा साथ–साथ विभाग की वेबसाईट **ceorajasthan.nic.in** पर भी प्रारूप मतदाता सूची का प्रकाशन किया जायेगा। **अतः**

पुनर्गठित मतदान केन्द्रों के अनुसार बिना फोटोयुक्त मतदाता सूची की पीडीएफ फाइल दिनांक 27 जुलाई, 2018 तक ईमेल/विशेष वाहक के साथ विभाग को भिजवाया जाना सुनिश्चित करें।

6. प्रारूप मतदाता सूचियों की प्रदायगी :

6.1 प्रारूप मतदाता सूचियों की प्रति निम्नानुसार उपलब्ध करायी जायेगी:–

(क)	मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय राजनैतिक दलों को विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची।	–	1–1 प्रति एवं 1–1 सीडी मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों को देने हेतु।
(ख)	संबंधित शहरी/ग्रामीण स्थानीय निकाय हेतु।	–	1 प्रति
(ग)	अधिकृत अधिकारियों को मतदान केन्द्र पर प्रकाशन एवं वार्ड सभा में पठन हेतु	–	1 प्रति अधिकृत अधिकारी हेतु
(घ)	निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी कार्यालय हेतु	–	1 प्रति
(ड.)	सील्ड लिफाफे में जिला निर्वाचन कार्यालय हेतु	–	1 प्रति
(च)	बूथ लेवल अधिकारी हेतु	–	1 प्रति

6.1. निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण नियम, 1960 के नियम 11 के अनुसार मतदाता सूचियों के प्रारूप प्रकाशन के बाद इनकी एक हार्डकापी एवं एक सॉफ्टकापी सीडी में मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय राजनैतिक दलों को उपलब्ध कराने के निर्देश हैं।

6.2. भारत निर्वाचन आयोग ने पत्र क्रमांक 23/बीएलए/2008/ईआरएस दिनांक 19 नवम्बर, 2008 से निर्देश जारी कर यह व्यवस्था की है कि जिला निर्वाचन अधिकारी/निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा मतदाता सूची के प्रारूप प्रकाशन के बाद मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय राजनैतिक दलों द्वारा विधिवत नियुक्त किए गए बूथ स्तरीय अभिकर्ताओं को संबंधित भाग की मतदाता सूची अधिकृत अधिकारी के माध्यम से उपलब्ध करवाई जायेगी। यदि किन्हीं भागों के लिए राजनैतिक दलों द्वारा बीएलए की नियुक्ति नहीं की गई है तो संबंधित भागों की मतदाता सूचियॉ निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा उक्त राजनैतिक दलों के अधिकृत प्रतिनिधियों को उपलब्ध करवायी जाएगी। इस संबंध में पालना रिपोर्ट दिनांक 5 अगस्त, 2018 तक विभाग को भिजवाया जाना सुनिश्चित करें।

7. अधिकृत अधिकारियों (बी.एल.ओ.) एवं बी.एल.ओ. के पर्यवेक्षकों की नियुक्ति –

7.1 पुनरीक्षण कार्य के लिए अधिकृत अधिकारियों/पर्यवेक्षकों की नियुक्ति संबंधित निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण नियम, 1960 के नियम 14 के अन्तर्गत की जायेगी।

7.2 पुनरीक्षण कार्यक्रम के दौरान शिक्षकों को अधिकृत अधिकारी नियुक्त करने के विषय में विभाग के पत्र क्रमांक प.8(9)(6)निर्वा/2007/350 दिनांक 12.2.2008 के साथ भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश क्रमांक 509/65/2003/जेएस–I दिनांक 28.1.2008 एवं 23/2007/ईआरएस दिनांक 28.1.2008 को ध्यान में रख कर नियुक्ति आदेश जारी किए जाए। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा उक्त निर्देशों को माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा पी.आई.एल. संख्या 36449/2016 में पारित निर्णय दिनांक 08.08.2016 के क्रम में पुनः प्रेषित करते हुए इनकी पालना सुनिश्चित करने के निर्देश दिये हैं। आयोग के पत्र दिनांक 23/BLO/LET/ECI/FUNC/ERD/ER/2016 दिनांक 05 सितम्बर, 2016 की प्रति सुलभ संदर्भ हेतु पालनार्थ संलग्न की जा रही है। **पुनरीक्षण कार्यक्रम के दौरान अधिकृत अधिकारी (बी.एल.ओ.) के रूप में नियुक्त किए गए शिक्षक उक्त कार्य अवकाश के दिनों में या शैक्षणिक समय के अलावा करेंगे। इसका उल्लेख उनके नियुक्ति पत्र में कर दिया जावे। फार्म संख्या 6, 6क, 7, 8 एवं 8क उपलब्ध कराने एवं प्राप्ति के लिए शिक्षण संस्थाओं के शिक्षण समय को ध्यान में रखते हुए शैक्षणिक समय को छोड़ते हुये एक घण्टा इस कार्य के लिए नियत कर दिया जावे। इसका प्रचार–प्रसार कराया जावे एवं राजनैतिक दलों को इस बारे में पहले से ही अवगत करा दिया जावे।** जब उक्त शिक्षक अध्यापन कार्य में व्यस्त रहे तो मतदाता सूची आम नागरिकों के अवलोकनार्थ संस्था प्रधान के कक्ष में रखी जाए।

7.3 वर्तमान पुनरीक्षण कार्यक्रम के दौरान बूथ लेवल अधिकारियों को ही अधिकृत अधिकारी नियुक्त किया जाये। ऐसी स्थिति में पैरा 7.1 के अनुसार विधिवत नियुक्ति आदेश जारी किए जाए। पुनरीक्षण कार्यक्रम की अवधि के दौरान बीएलओ मतदान केन्द्र पर उपस्थित रहकर मतदाता सूचियों में नाम जुड़वाने/हटवाने/स्थानान्तरित करने/संशोधनों आदि के आवेदन पत्र प्राप्त करेगे। बी.एल.ओ. दावे एवं आपत्तियॉ प्राप्त करने हेतु निर्धारित दिनांक 31 जुलाई, 2018 से 21 अगस्त, 2018 के मध्य वार्ड सभा एवं विशेष अभियान की तिथियों हेतु निर्धारित दिनांकों के अतिरिक्त प्रतिदिन का कार्यक्रम निर्धारित करेंगे। **कार्यक्रम निर्धारण के समय दिन–प्रतिदिन घर–घर जाकर मतदाता सूचियों की प्रविष्टियों का सत्यापन एवं विभाग द्वारा उपलब्ध करवायी गयी त्रुटियों/विशेष योग्यजनों से संबंधित सूचना एवं अन्य प्रपत्रों में सूचना का संकलन भी करेंगे। विशेष योग्यजन पंजीकृत अथवा पात्र अपंजीकृत मतदाता को दूरभाष पर सूचना प्राप्त होने पर बीएलओ द्वारा उनसे अविलम्ब व्यक्तिगत रूप से सम्पर्क कर कार्यवाही की जाएगी।**

7.4 गत वर्ष बी.एल.ओ.के कार्य पर प्रभावी पर्यवेक्षण हेतु 10–10 मतदान केन्द्रों के लिये एक पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया है। पर्यवेक्षकगण सम्पूर्ण पुनरीक्षण कार्यक्रम के दौरान भ्रमण कर बी.एल.ओ. द्वारा किये जाने वाले कार्य का पर्यवेक्षण करेंगे तथा वार्ड सभा की कार्यवाही में भी भाग लेंगें। पर्यवेक्षक यह भी सुनिश्चित करेंगे कि अभियान की विशेष तिथियों पर निर्धारित समय प्रातः 9.00 बजे से सायं 6.00 बजे तक बी.एल.ओ. अपने मतदान केन्द्र पर उपस्थित रहकर प्रपत्र 6, 6क, 7, 8 एवं 8क प्राप्त कर रहे हैं एवं मतदाताओं की जिज्ञासा/समस्याओं का समाधान भी कर रहे हैं, वह निर्धारित दिनांको को वार्डसभा का आयोजन एवं विशेष अभियान की तिथियों पर बीएलओ से समन्वय कर कार्य सम्पादित करेंगे। आयोग द्वारा प्रत्येक पर्यवेक्षक के लिए प्रति वर्ष रूपये 12,000 मानदेय भी निर्धारित किया है। **अतः सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों/निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों से अनुरोध है कि वह सुनिश्चित करें कि प्रत्येक विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के निर्धारित मापदण्ड के अनुसार पर्यवेक्षक नियुक्ति करें। ईआरओ स्तर पर इनकी नियुक्ति के क्रम में रजिस्टर भी संधारित किया जाए।**

चूंकि आयोग के निर्देशानुसार मतदान केन्द्र अथवा अन्य स्थान पर दिन–प्रतिदिन प्राप्त होने वाले आवेदन पत्रों को विभाग की बेवसाइट पर उपलब्ध करवाया जाना है। अतः दावे एवं आपत्तियॉ प्राप्त करने की अवधि में पर्यवेक्षकों का यह मुख्य दायित्व होगा कि उनके अधीन सभी मतदान केन्द्रों से वह आवेदन पत्र एकत्रित कर सम्बंधित निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण कार्यालय में उपलब्ध करवायेगें ताकि सम्बंधित निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी ERO Net पर इनकी प्रविष्टि करा सकें।

7.5 अधिकृत अधिकारी की नियुक्ति के विषय में यह स्पष्ट किया जाता है कि यदि बीएलओ को अधिकृत अधिकारी नियुक्त किया गया है तो उसकी दावे एवं आपत्तियॉ प्राप्त करने हेतु निर्धारित अवधि में मतदान केन्द्र पर उपलब्धता सुनिश्चित की जाए। यदि मतदान केन्द्र का भवन शाला या कोई अन्य संस्था है तथा बीएलओ उस संस्था/शाला में कार्यरत नहीं है तो ऐसी स्थिति में अधिकृत अधिकारी की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु उसी शाला/संस्था के कर्मचारियों को अधिकृत अधिकारी नियुक्त किया जाए।

8. **प्रशिक्षण –**

भारत निर्वाचन आयोग द्वारा अर्हता दिनांक 01.01.2018 के संदर्भ में मतदाता सूचियों के द्वितीय विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम से पूर्व जिले के सभी निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों/सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों आदि एवं पर्यवेक्षक/बीएलओ/

अधिकृत अधिकारियों के लिए सघन प्रशिक्षण आयोजित करने के निर्देश दिए हैं। सभी जिलों में शतःप्रतिशत सत्र आयोजित कर लिये गये हैं। यदि इन प्रशिक्षण सत्रों के बाद नये बीएलओ/पर्यवेक्षक नियुक्त किये गये हैं तो इनके लिये पृथक से प्रशिक्षण सत्र दिनांक 28 जुलाई, 2018 से पूर्व आयोजित किये जावें। **साथ ही पुनरीक्षण कार्यक्रम हेतु बीएलओ/सुपरवाईजर को सामग्री प्रदान करते समय लघु प्रशिक्षण भी आवश्यक रूप से प्रदान किया जाए।**

9. **अधिकृत अधिकारी (बी.एल.ओ.) को प्रदाय की जाने वाली सामग्री –**

प्रशिक्षण सत्र में ही बी.एल.ओ.को निम्नलिखित दस्तावेज/सामग्री प्रदान की जाएः–

1.	बीएलओ/अधिकृत अधिकारियों तक के लिये निर्देशिका	उक्त निर्देशिका का मुद्रण माह जुलाई, 2017 में आयोजित विशेष अभियान के दौरान जिला स्तर पर करवाया गया है। कृपया बीएलओ/अधिकृत अधिकारियों के पास इसकी उपलब्धता सुनिश्चित की जाये।
2.	प्रारूप प्रकाशन हेतु	फोटोयुक्त प्रारूप मतदाता सूची – 2018
3.	प्ररूप – 6	मतदाता सूचियों में नाम सम्मिलित करने के लिए आवेदन
4.	प्ररूप – 6क	प्रवासी भारतीयों के मतदाता सूचियों में नाम सम्मिलित करने के लिए आवेदन
5.	प्ररूप – 7	मतदाता सूचियों में नाम सम्मिलित किए जाने के विरूद्ध या हटाये जाने के लिए आवेदन
6.	प्ररूप – 8	मतदाता सूचियों में प्रविष्ट विशिष्टियों की शुद्धि के लिए आवेदन
7.	प्ररूप – 8क	मतदाता सूचियों में प्रविष्टि को विधान सभा क्षेत्र के एक भाग से दूसरे भाग में स्थानान्तरित करने के लिये आवेदन
8.	कम्प्यूटर डाटा में से भागवार विशेष योग्य जनों की मुद्रित सूची	प्रत्येक बीएलओ को प्रारूप मतदाता सूची के डेटा बेस से भागवार विशेष योग्यजनों की सूची उपलब्ध करवायी है ताकि वह घर–घर सत्यापन/वार्ड सभा/ग्राम सभा की बैठकों में इनका सत्यापन कर सके तथा मतदान के समय उनको उपलब्ध करवायी जाने वाली सुविधा का आंकलन कर सूचना तैयार कर सके।
9.	प्ररूप – 9	प्राप्त दावों की सूची
10.	प्ररूप – 9क	प्रवासी भारतीयों से प्राप्त दावों की सूची
11.	प्ररूप – 10	नामों के सम्मिलित किये जाने बाबत आक्षेपों की सूची
12.	प्ररूप – 11	विशिष्टियों के बाबत आक्षेपों की सूची
13.	प्ररूप – 11क	मतदाता सूचियों में प्रविष्टि को अन्यत्र रखने के लिये प्राप्त दावों की सूची
14.	प्ररूप आई.डी./एस.आर. 2018–01क	प्रत्येक मतदान केन्द्र के लिए अधिकृत अधिकारी (बी.एल.ओ.) द्वारा भरा जाने वाला प्ररूप (समरी रिपोर्ट–1)
15.	प्ररूप आई.डी./ईसीआई–एपिक–001	पूर्व से पंजीकृत मतदाताओं द्वारा नये स्थान की मतदाता सूची में नाम जुड़वाने हेतु यथा स्थिति प्ररूप 6 या प्ररूप 8क में आवेदन पत्र के साथ EPIC हेतु आवेदन पत्र के साथ संलग्न किया जाने वाला प्रपत्र
16.	परिशिष्ट–क	वार्ड सभा का संक्षिप्त प्रतिवेदन, 2018 हेतु प्रारूप

10. **अभियान की विशेष तिथियॉ –**

10.1 भारत निर्वाचन आयोग ने मतदाताओं की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए प्रारूप मतदाता सूचियों के सम्बन्ध में दावे एवं आपत्तियां प्राप्त करने हेतु **विशेष अभियान की तिथियॉ यथा 12 अगस्त, 2018 (रविवार) एवं 19 अगस्त, 2018 (रविवार) निश्चित की हैं। उक्त तिथियों को** बी.एल.ओ.**प्रातः 9.00 बजे से सायं 6.00 बजे तक मतदान केन्द्र पर उपस्थित रह कर दावे एवं आक्षेप प्राप्त करेंगें। इन दिनों में मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय राजनैतिक दलों द्वारा भाग के लिए नियुक्त बूथ स्तरीय अभिकर्ता भी मतदान केन्द्र पर उपस्थित रहकर अधिकृत अधिकारी के साथ दावे एवं आपत्तियों के प्रार्थना पत्र प्राप्त करने में सहयोग देंगे।**

10.2 उक्त तिथियों के अतिरिक्त दावे एवं आपत्तियां प्राप्त करने की निर्धारित अवधि दिनांक 31 जुलाई, 2018 से 21 अगस्त, 2018 तक कार्य दिवसों में भी दावे एवं आपत्तियों के आवेदन पत्र अधिकृत अधिकारी/निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी /सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के कार्यालय में प्राप्त किए जायेंगे।

10.3 विशेष तिथियों को पर्यवेक्षक अपने–अपने क्षेत्रों का दौरा करेंगे एवं EROs/AEROs से लगातार सम्पर्क में रह कर फीडबैक देते रहेंगे।

11. **दिनांक 11 व 18 अगस्त, 2018 (शनिवार) को आयोजित होने वाली वार्ड सभा के संदर्भ में निर्देश –** जिला निर्वाचन अधिकारी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद् एवं शहरी स्थानीय निकाय के अधिकारियों के साथ समन्वय कर उपरोक्त तिथियों को वार्ड सभा की बैठकों हेतु विधानसभा क्षेत्रवार कार्यक्रम निर्धारित करेंगे। वार्ड सभा की बैठकों में निम्न प्रकार से कार्यवाही की जायेगी :–

11.1. सभी अधिकृत अधिकारीगण अपने क्षेत्र की वार्ड सभा के लिये निश्चित दिनांक, समय एवं निर्दिष्ट स्थान पर उपस्थित होंगे। क्षेत्र के पटवारी, पर्यवेक्षकगण एवं अन्य पर्यवेक्षण अधिकारी भी यथा संभव ग्राम सभा की बैठकों में भाग लेवें। बैठक में दावे एवं आपत्ति प्राप्त करने की प्रक्रिया के संबंध में जानकारी दी जाएगी। निर्वाचन अपराधों के संबंध में कानूनी प्रावधानों का ढ़कर सुनाया जाएगा।

11.2. मतदाता सूचियों की किसी भी प्रविष्टि के संबंध में दावे एवं आपत्तियों के आवेदन पत्र मौके पर ही भरकर अधिकृत अधिकारी को प्रस्तुत किए जाएंगे। अधिकृत अधिकारी आवेदनकर्ता को फार्म भरने में आवयक सहयोग प्रदान करेंगे। अधिकृत अधिकारी स्वयं फार्म नहीं भरेंगे। यदि कोई व्यक्ति उस समय फार्म नहीं भर सकें तो दिनांक 21 अगस्त, 2018 तक फार्म भरकर अधिकृत अधिकारी, संबंधित सहायक

निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी या संबंधित निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को प्रस्तुत किए जा सकते हैं।

11.3. वार्ड सभा की बैठक में प्राप्त सभी आवेदन पत्रों पर तत्काल पश्चात् अधिकृत अधिकारी अपनी टिप्पणी अंकित करेंगे।

11.4. अधिकृत अधिकारी प्रत्येक वार्ड सभा की समाप्ति पर **परिशिष्ट–क** में एक प्रतिवेदन तैयार करेंगे और समस्त आवेदन पत्रों को संबंधित निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को प्रतिवेदन के साथ अग्रेषित करेंगे ताकि निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी इन आवेदन पत्रों के निस्तारण की कार्यवाही तत्काल प्रारम्भ कर सके।

11.5. पंचायत सचिव/विकास अधिकारी द्वारा नियुक्त कर्मचारी एवं शहरी क्षेत्रों में नगर पालिका के कार्यकारी अधिकारी द्वारा नियुक्त कर्मचारी वार्ड सभा का कार्यवाही विवरण 2 प्रतियों में तैयार करेगा जिसकी एक प्रति संबंधित विधानसभा क्षेत्र के निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को प्रेषित की जाएगी। कार्यवाही विवरण पर उपस्थित व्यक्तियों के हस्ताक्षर अथवा अंगूठा निशानी अवश्य करायी जायें।

11.6. पंचायत के सचिव या विकास अधिकारी द्वारा नियुक्त कर्मचारी वार्ड सभा की बैठक में संबंधित वार्ड में आने वाले ग्रामों की मतदाता सूचियों को पढ़कर सुनायेगा एवं संबंधित मतदाता की फोटो को दिखाकर उपस्थित जनसमुदाय से भी सत्यापन करवाया जाएगा। इन बैठकों में यथा संभव संबंधित क्षेत्र/ग्राम के पटवारी/भू–अभिलेख निरीक्षक भी उपस्थित रहेंगे।

11.7. मतदाता सूची में नाम जुड़वाने की पात्रता रखने वाले व्यक्ति जो की प्रथम बार नाम जुड़वाने हेतु आवेदन कर रहे हैं या पूर्व में पंजीकृत मतदाता जो कि मतदाता सूची में अपनी गलत मुद्रित फोटो को ठीक करवाना चाते हैं या ऐसे मतदाता जिनको मतदाता सूची में प्रविष्टि को अन्यत्र से स्थानान्तरित करवाना चाहता है वह स्वेच्छा से मतदाता फोटो पहचान पत्र बनवाने हेतु निर्धारित प्रपत्र में आवेदन कर सकेंगे।

11.8. **विशेष योग्य जनों का सत्यापन** – भारत निर्वाचन आयोग द्वारा इस वर्ष राष्ट्रीय मतदाता दिवस के उपलक्ष में विशेष योग्य जनों का मतदाता सूची में पंजीकरण एवं मतदान के समय सूविधा प्रदान करने हेतु इस वर्ष की थीम "**सुगम मतदान**" रखी है। इसी को ध्यान में रखते हुए सभी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के बीएलओ द्वारा पूर्व में पंजीकृत विशेष योग्यजन मतदाताओं को चिन्हित कर कम्प्यूटर डाटाबेस में मार्किंग की है तथा ऐसे पात्र विशेष योग्यजन व्यक्ति जिनका मतदाता सूची में नाम दर्ज नहीं है से घर–घर जाकर आवेदन पत्र भरवाये गये हैं।

11.9. वार्ड सभा की बैठकों में मतदाता सूची में पंजीकृत विशेष योग्यजनों की सूची का पठन कर इसका सत्यापन किया जाएगा। पात्र विशेष योग्यजन जिनका अभी तक पंजीयन नहीं है उनसे मौके पर आने अथवा मौके पर नहीं होने की स्थिति में बीएलओ द्वारा घर जाकर आवेदन पत्र प्राप्त किया जाएगा। अर्थात् सभी सुविधायें उनेक घर तक प्रदान की जायेगी, जिससे शतःप्रतिशत विशेष योग्यजनों का मतदाता सूची में पंजीयन हो सके।

11.10. मतदान दिवस के दिन विशेष योग्यजनों को बाधा रहित मतदान की सुविधा प्रदान करने हेतु वार्ड सभा की बैठक में उनकी आवश्यकताओं का आंकलन किया जायेगा तथा तद्नुसार पंचायतवार व्हील चेयर आदि क्रय करने के क्रम में प्रस्ताव लिये जायेंगे ताकि आम चुनाव से पूर्व उक्त संसाधन पंचायत स्तर पर उपलब्ध हो सकें। **अतः वार्ड सभा की बैठकों में यह कार्यवाही गंभीरतापूर्वक कर प्रस्ताव लिये जावें। वार्ड सभाा की कार्यवाही के पश्चात् प्रत्येक आयोजित वार्ड सभा के क्रम में परिशिष्ट–क में सूचना तैयार कर निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी कार्यालय में अविलम्ब जमा करवायी जायेगी तथा निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी तद्नुसार आगामी कार्यवाही करेंगे।**

सभी जिला निर्वाचन अधिकारी वार्ड सभा का विधानसभा क्षेत्रवार कार्यक्रम निर्धारित कर इसकी सूचना 5 अगस्त, 2018 तक विभाग को प्रेषित करेंगे।

12. **मतदाता सूची में नाम जुड़वाने हेतु प्रपत्र–6 में प्रस्तुत किए जाने वाले प्रपत्र की जॉच –**

12.1 नए पंजीकृत होने वाले मतदाताओं एवं पूर्व में अन्य विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के पंजीकृत मतदाताओं द्वारा पुनरीक्षण कार्यक्रम अथवा मतदाता सूचियों के निरन्तर अद्यतन की कार्यवाही के दौरान प्रपत्र–6 में आवेदन किया जाता है तो इसे प्राप्त करने वाले प्राधिकारी यथा निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी/सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी एवं अधिकृत अधिकारी (बीएलओ) इसकी सरसरी जॉच करेंगे तथा यह सुनिश्चित करेंगें कि प्रपत्र–6 के सभी कालम्स की पूर्ति की गई हैं।

12.2 यदि कोई व्यक्ति कहीं अन्यत्र स्थान से स्थानान्तरित होकर आया है तो आवेदन पत्र में उसके पूर्व निवास स्थान का पूर्ण पता एवं मतदाता फोटो पहचान पत्र के नम्बर के कालम की पूर्ति आवश्यक रूप से करावें। **यदि प्रपत्र–6 में पूर्व निवास की सूचना, यदि मतदाता फोटो पहचान पत्र पूर्व में जारी हुआ हो तो उसका नम्बर, आवेदक के माता/पिता या रिश्तेदार का मतदाता सूची में भाग संख्या/क्रमांक की सूचना अंकित नहीं है तो ऐसी स्थिति में आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किया जाए।**

12.3 निर्धारित नवीनतम प्ररूप–6 में पूर्व की भांति परिवार के पूर्व में पंजीकृत अन्य सदस्यों के मतदाता सूची में पंजीकरण से संबंधित सूचना प्रस्तुत करने का कॉलम नहीं है। ऐसी स्थिति में यह निर्धारण करना कठिन है कि यदि आवेदन पत्र को स्वीकार करने की स्थिति में इनका नाम भाग की मतदाता सूची में किस क्रमांक पर होगा। **अतः सभी बीएलओ को यह निर्देशित करें कि वह आवेदन पत्र की जॉच करते समय यह भी अंकित करें कि परिवार के सदस्य/पड़ौसी जो कि पूर्व में मतदाता सूची में पंजीकृत हैं के सापेक्ष नव पंजीकृत मतदाता का नाम किस क्रमांक के बाद/पूर्व पंजीकृत किया जाएगा।**

12.4 आवेदन प्राप्त करने वाले अधिकारी इसकी पूर्ति आवेदकों से करा लेवें यदि पूर्व में पहचान पत्र जारी हुआ है तो उसकी फोटोप्रति भी सलंग्न करा लेवें। उक्त सूचना जहॉ अभी हाल ही में पात्र हुए व्यक्तियों के नाम पंजीकृत करने में निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के लिए उपयोगी है वहीं अन्य विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से स्थानान्तरित होकर आए मतदाताओं के नाम पंजीकृत करने के साथ–साथ पूर्व की विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची से नाम हटाये जाने में उपयोगी होगी। संबंधित निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को सूचना देनी होगी जिससे वह अपनी मतदाता सूची में से नाम हटा दें।

12.5 इस विषय में यह भी स्पष्ट किया जाता है कि संबंधित निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी पुनरीक्षण कार्यक्रम (अथवा मतदाता सूचियों के निरन्तर अद्यतन की कार्यवाही) के दौरान प्राप्त होने वाले इस प्रकार के आवेदन पत्रों पर निर्णय लेकर आवेदक का मतदाता सूची में नाम पंजीकृत करेंगे तथा पूर्व के विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची में पंजीकृत मतदाता का नाम हटाने हेतु राज्य की विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के लिए संबंधित निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को एवं राज्य के बाहर के विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के लिये संबंधित राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी को सूची भेजेंगें जिससे उनके द्वारा मतदाता सूची से नाम हटाया जा सके।

12.6 इसी प्रकार सभी EROs अन्य EROs से प्राप्त सूची के आधार पर ऐसे मतदाता की प्रविष्टियों को अपनी मतदाता सूची से हटायेंगे।

12.7. यदि कोई व्यक्ति जिसकी उम्र 21 वर्ष से अधिक है और पहली बार प्रपत्र 6 में आवेदन करता है तो उसे अनुलग्नक–II में शपथ पत्र देना होगा, बिना शपथ पत्र के आवेदन खारिज किया जावेगा।

13. **मतदाता सूची में नाम जुड़वाने/संशोधन करवाने हेतु किए जाने वाले आवेदन पत्रों के साथ मतदाता फोटो पहचान पत्र बनवाने हेतु स्वेच्छा से फोटो प्रस्तुत करने के विषय में–**

इस विषय में कृपया आयोग द्वारा उपलब्ध करवायी गई "बूथ लेवल अधिकारियों तक की निर्देशिका" का अवलोकन करें जिसमे विभिन्न आवेदन पत्रों की पूर्ति, डूप्लीकेट EPIC प्राप्त करने आदि के विषय में विस्तृत दिशा–निर्देश दिए गए हैं। प्रशिक्षण सत्र के दौरान इन निर्देशों की विस्तार से जानकारी दी जावे ताकि बीएलओ/पर्यवेक्षक द्वारा तद्नुसार आम नागरिकों से विभिन्न आवेदन पत्र विशुद्ध रूप से भरवाकर प्राप्त किये जा सकें।

14. **बल्क/बंच के रूप में दावे और आपत्ति के आवेदन पत्र प्राप्त करने के संबंध में निर्देश –**

14.1 सामान्यतः मतदाता सूचियों में नाम सम्मिलित कराने का दावा प्ररूप 6 संबंधित दावेदार द्वारा व्यक्तिगत रूप से प्रस्तुत किया जायेगा, यद्यपि एक ही परिवार के सदस्यों से संबंधित दावा प्रपत्रों को परिवार के किसी भी एक सदस्य द्वारा प्रस्तुत किया जा सकेगा। इसी प्रकार आक्षेपों के संबंध में भी आवेदन पत्र आक्षेपकर्ता द्वारा व्यक्तिगत रूप से दाखिल किये जायेंगे।

14.2. पुनरीक्षण कार्यक्रम के दौरान किसी भी स्थान पर किसी भी संस्था द्वारा बल्क एवं बंच के रूप में दावे एवं आपत्तियों के आवेदन पत्र प्राप्त नहीं किये जायेंगे।

14.3 **बूथ स्तरीय अभिकर्ताओ द्वारा आवेदन पत्रों का प्रस्तुतीकरण –** आयोग के पत्र क्रमांक 23/बीएलए/2008/ईआरएस दिनांक 3 अगस्त, 2012, 18 सितम्बर, 2012 एवं 31 जुलाई, 2015 के पैरा 12 में दिए गए निर्देशानुसार मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय राजनैतिक दलों द्वारा नियुक्त बूथ स्तरीय अभिकर्ताओं को अधिकृत किया गया है कि वह एक बार में अधिकतम 10 फार्म बी.एल.ओ. को इस आशय की घोषणा के साथ जमा करवा सकते हैं कि प्रत्येक आवेदन की प्रविष्टियों का उनके द्वारा सत्यापन कर लिया गया है तथा वह सही हैं। पुनरीक्षण कार्यक्रम की अवधि में बीएलए द्वारा अधिकतम 30 आवेदन पत्र ही दिए जा सकेगें। कृपया विभिन्न स्तर पर आयोजित होने वाले प्रशिक्षण के दौरान इस विषय में अवगत कराया जाए तथा इसकी सूचना राजनैतिक दलों को भी दी जाए। **इस क्रम में कृपया विभाग के पत्र क्रमांक 2380 दिनांक 25.06.2015 द्वारा भेजे गये भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों का अध्ययन कर इनकी पालना की जाना सुनिश्चित करें।**

14.4 यदि बी.एल.ए. द्वारा अधिक आवेदन पत्र प्रस्तुत किये जाते हैं तो इन सबकी विशेष जॉच पर्यवेक्षकों से करवा कर ई.आर.ओ. द्वारा निस्तारित किये जायेंगे।

14.4 यदि बी.एल.ए. द्वारा अधिक आवेदन पत्र प्रस्तुत किये जाते हैं तो इन सबकी विशेष जॉच पर्यवेक्षकों से करवा कर ई.आर.ओ. द्वारा निस्तारित किये जायेंगे।

15. विधानसभा/लोकसभा सदस्य या क्षेत्र के प्रमुख व्यक्तियों के मतदाता सूची में नामों का सत्यापन –

महत्वपूर्ण व्यक्ति यथा सांसद/विधायक आदि जहॉ निवास करते है तथा उनके नाम प्रारूप मतदाता सूची में होने के बारे में निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी सुनिश्चित करेंगे। संसद सदस्यों एवं विधानसभा सदस्यों के नाम मतदाता सूची में यथावत रहने के बारे में निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों के लिये **हैण्डबुक, 2014** के अध्याय चतुर्थ के पैरा 13.5 में निर्धारित प्रपत्र में सभी निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, मुख्य निर्वाचन अधिकारी को प्रमाण पत्र प्रेषित करेंगें। उक्त हैण्डबुक भारत निर्वाचन आयोग की वेबसाइट www.eci.gov.in पर उपलब्ध है। इस विषय में भारत निर्वाचन आयोग के प्रासंगिक पत्र दिनांक 7 मई, 2018 के पैरा – 11 में दिए गए निर्देशों की अक्षरशः पालना की जाना सुनिश्चित करें।

16. प्रारूप मतदाता सूची में चिन्हित की गई त्रुटियों/दोहरी प्रविष्टियों/बहु प्रविष्टियों/मृत/स्थानान्तरित/अनुपस्थित मतदाताओं/जनसांख्यिकीय एकरूपता वाले मतदाताओं (Demographically Similar Entries - DSEs) का घर–घर जाकर सत्यापन कर नाम विलोपन करने की प्रक्रिया –

16.1. कृपया इस विषय में भारत निर्वाचन आयोग के प्रासंगिक पत्र दिनांक 7 मई, 2018 के पैरा 10 का अवलोकन करें तथा प्रत्येक बिन्दु पर दिये गये निर्देशों की अक्षरशः पालना सुनिश्चित की जावे।

16.2. त्रुटियों का निस्तारण – सभी निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी उन्हें गत अभियान के दौरान ERO Net Portal से प्राप्त त्रुटियों का यथा स्थिति निराकरण कार्यालय स्तर पर अथवा पुनरीक्षण कार्यक्रम की अवधि में अधिकृत अधिकारी/बीएलओ द्वारा घर–घर जाकर इनका सत्यापन करने के विषय में प्रभावी कार्यवाही करें।

इस विषय में विस्तृत दिशा–निर्देश पृथक से प्रेषित किये जा रहे हैं।

17. कार्यक्रम का व्यापक प्रचार–प्रसार –

पुनरीक्षण के कार्यक्रम की जानकारी दिये जाने के लिए जिला स्तर एवं निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण स्तर पर गठित मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों एव जन प्रतिनिधियों की बैठक आयोजित की जाए। इस बैठक में राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों को निम्न जानकारी आवश्यक रूप से दी जाए–

17.1 मतदाता सूचियों के संक्षिप्त पुनरीक्षण करने हेतु आयोग द्वारा निर्धारित कार्यक्रम की विस्तृत जानकारी लिखित में दी जाये एवं कार्यक्रम में उनकी सहभागिता सुनिश्चित की जावे।

17.2 बल्क/बंच के साथ आवेदन प्रस्तुत नहीं करने हेतु आयोग के निर्देशों एवं मतदान केन्द्र के लिए नियुक्त बीएलए द्वारा अनु. 14.3 में वर्णित विवरण के अनुसार एक साथ 10 एवं पुनरीक्षण अवधि में अधिकतम 30 आवेदन पत्र निर्धारित प्रपत्र में घोषणा के साथ प्रस्तुत कर सकता है इस बाबत जानकारी दी जाए।

17.3 बैठक में यह भी बताया जाये कि आयोग के पत्र दिनांक 23 अगस्त, 2017 में दिए गए निर्देशानुसार पुनरीक्षण कार्यक्रम के दौरान दिन प्रतिदिन प्राप्त होने वाले विभिन्न आवेदन पत्रों को संबंधित निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा ERMS/ERO Net पर अपलोड किया जाएगा ताकि उक्त सूचियॉ मुख्य निर्वाचन अधिकारी की वेबसाईट पर उपलब्ध हो सके, जिससे किसी आवेदन पत्र के क्रम में किसी व्यक्ति, राजनैतिक दल अथवा उम्मीद्वार द्वारा संबंधित निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को आक्षेप प्रस्तुत किया जा सके।

17.4 बैठक में यह भी बताया जाए कि संबंधित निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा दावे एवं आपत्तियॉ प्रस्तुत करने की अंतिम दिनांक के तुरन्त बाद प्राप्त हुए विभिन्न आवेदन पत्रों की सूची मुख्य निर्वाचन अधिकारी की वेबसाइट, निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी एवं नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित की जाएगी ताकि जिस मतदाता का नाम मतदाता सूची से विलोपित किया जाना है (मृत्यु संबंधी प्रकरणों को छोड़कर) की जानकारी सभी को मिल सके तथा उसे उसका विधिवत नोटिस दिया जाकर हटाया जा सके। निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी उक्त सूची की एक–एक प्रति व्यक्तिगत रूप से मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक आयोजित कर उपलब्ध करवायेंगे तथा रसीद प्राप्त करेंगे। जिला निर्वाचन अधिकारी इस विषय में व्यापक प्रचार–प्रसार करें तथा लिखित रूप से भी राजनैतिक दलों को सूचित करें।

17.5 पुनरीक्षण कार्यक्रम में स्वयंसेवी संगठनों/संस्थाओं आदि का सहयोग भी प्राप्त किया जाना है। अतः स्वयंसेवी संस्थाओं की पृथक से बैठक आमंत्रित की जाकर पुनरीक्षण कार्यक्रम एवं प्रक्रिया की जानकारी के साथ–साथ वार्ड सभाओं में भी उन्हें उपस्थित रह कर कार्यक्रम में सहयोग देने की अपील की जाए।

17.6. जिला निर्वाचन अधिकारी सभी निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों को निर्देश प्रदान करें कि पुनरीक्षण कार्यक्रम के प्रारम्भ होने की तिथि से 2–3 दिन में जिला/विधानसभा मुख्यालय पर वृहद स्वीप गतिविधियॉ आवश्यक रूप से आयोजन कर अधिक से अधिक नागरिकों की सहभागिता सुनिश्चित करें। इसका क्वबनउमदजंजपवद किया जाकर इसे विभाग की वेबसाईट पर अपलोड किया जाये।

17.7 **पुनरीक्षण कार्यक्रम से पूर्व विभाग के पत्र क्रमांक 3356 दिनांक 21.06.2018 में दिये गये निर्देशों के अनुसार जिला स्तरीय स्वीप कमेटी, विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की स्वीप कमेटी एवं बूथ स्तर पर गठित स्वीप कमेटी को सक्रिय किया जाए जिससे पुनरीक्षण कार्यक्रम के दौरान अधिक से अधिक नागरिकों की सहभागिता सुनिश्चित की जा सके।**

18. **पर्यवेक्षण–**

18.1 कृपया भारत निर्वाचन आयोग के प्रासंगिक पत्र दिनांक 7 मई, 2018 के पैरा 13 का अवलोकन करें। पुनरीक्षण के दौरान जिला निर्वाचन अधिकारी, उप जिला निर्वाचन अधिकारी, निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी एवं पर्यवेक्षक अपने–अपने क्षेत्राधिकार में भ्रमण कर पुनरीक्षण कार्यक्रम की अवधि तक विशेष अभियान की तारीखों के दिनों में बीएलओ द्वारा की जाने वाली कार्यवाही का पर्यवेक्षण करेंगे ताकि पुनरीक्षण कार्य एवं फोटोयुक्त मतदाता सूची की गुणवता सुनिश्चित की जा सके। भारत निर्वाचन आयोग एवं निर्वाचन विभाग के अधिकारियों द्वारा भी पुनरीक्षण कार्य का पर्यवेक्षण किया जाएगा। कृपया पैरा 13 में दिये निर्देशों का भलिभांति अवलोकन करें क्योंकि म्त्व छमज लागू होने के कारण कार्य अधिक व्यापक एवं तकीनीकी प्रकृति का है, अतः प्रासंगिक पत्र में दिये गये निर्देशों की अक्षरशः पालना सुनिश्चित की जावे।

18.2. **इसके अतिरिक्त पुनरीक्षण कार्यवाही के दौरान अभियान की विशेष तिथियॉ 12 नवम्बर, 2017 एवं 19 नवम्बर, 2017 को प्रत्येक विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए प्रशासनिक अधिकारियों को प्रभारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया जाए जिससे इन तिथियों को किसी भी समस्या का निराकरण इन अधिकारियों द्वारा मौके पर ही किया जा सके।**

18.3 भारत निर्वाचन आयोग द्वारा राज्य के समस्त संभागीय आयुक्तगणों को रोल पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया है। इनके द्वारा भी अपने क्षेत्राधिकार में आने वाले जिलों का विभिन्न चरणों में भ्रमण कर पुनरीक्षण कार्यक्रम का पर्यवेक्षण किया जाएगा। इस विषय में विभाग द्वारा निर्देश जारी किये गये हैं। कृपया रोल पर्यवेक्षकों को भ्रमण के दौरान आवश्यक सूचना उपलब्ध करवायी जाए।

19. **प्राप्त दावे एवं आपत्तियों का निस्तारण–**

पुनरीक्षण कार्यक्रम की अवधि से पूर्व एवं पुनरीक्षण कार्यक्रम के दौरान दावे एवं आपत्तियों के निस्तारण के विषय में आयोग के प्रासंगिक पत्र दिनांक 7 मई, 2018 एवं

दिनांक 20 जुलाई, 2018 में विस्तृत दिशा–निर्देश प्रदान किये गये हैं। इनकी अक्षरशः पालना सुनिश्चित की जाए।

20. **आवेदन पत्रों की विस्तृत जॉच–** इस विषय में कृपया आयोग के प्रासंगिक पत्र दिनांक 7 मई, 2018 एवं दिनांक 20 जुलाई, 2018 का अवलोकन करें।

20.1 निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी विलोपन के ऐसे प्रकरण जो मतदाता की मृत्यु के कारण विचाराधीन है, इनके अतिरिक्त शेष सभी प्रकरण जिसके क्रम में फार्म 7 प्राप्त हुए हैं में सभी आवेदन पत्रों की जॉच तहसीलदार या इसके समकक्ष स्तर के अधिकारी द्वारा करने के उपरान्त ही इन प्रार्थना पत्रों पर अन्तिम निर्णय लिया जाएगा।

20.2 विलोपन से संबंधित सभी प्रकरणों में निस्तारण के समय ध्यान रखा जाए कि ऐसे मतदान केन्द्र जहॉ पर विलोपन के प्रकरण मतदाता सूची में उपलब्ध मतदाताओं की संख्या के साथ 2 प्रतिशत से अधिक हो रहे हैं या ऐसे प्रकरण जिनमें किसी एक आक्षेपकर्ता द्वारा 5 प्रकरणों के आक्षेप कियेगये हैं, ऐसे आक्षेपों की जॉच निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण से वरिष्ठ अधिकारी द्वारा करवायी जाए।

20.3 मृत्यु के प्रकरणों के अतिरिक्त विलोपन से संबंधित ऐसे प्रकरण जिनके निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा आदेश पारित किए है की जॉच उच्च स्तर से की जाएगी। उप जिला निर्वाचन अधिकारी या इनके समकक्ष अधिकारी इस प्रकार के 2 प्रतिशत प्रकरणों का सत्यापन करेंगे। जिला निर्वाचन अधिकारी 1 प्रतिशत प्रकरणों का एवं रोल पर्यवेक्षक 0.5 प्रतिशत प्रकरणों का प्रमाणीकरण करेंगे।

20.4 निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों द्वारा स्वःविवेक से किए जाने वाले विलोपन के प्रकरणों में आयोग के यह निर्देश हैं कि उक्त विलोपन प्ररूप 7 में आवेदन पत्र प्राप्त नहीं होने की स्थिति में सावधानी पूर्वक ही किए जाए। जिला निर्वाचन अधिकारी इस प्रकार के विलोपन के प्रकरण पर गहन नजर रखेंगे। **इस कम में आयोग के प्रासंगिक पत्र दिनांक 7 मई, 2018 एवं 20 जुलाई, 2018 की ओर पुनः ध्यान आकर्षित किया जाता है।** इन निर्देशों में यह भी निर्देशित किया गया है कि निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों द्वारा परिवर्धन/विलोपन/संशोधन के प्रार्थना पत्रों का निस्तारण अर्द्ध न्यायिक प्रकिया की कार्यवाही करते हुए किया जाता है, इसलिए इनके निस्तारण के समय किसी अन्य उच्च अधिकारियों के अनुमोदन की आवश्यकता नहीं है। इस कम में यह भी उल्लेखनीय है कि निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा पारित आदेश की अपील अधिकृत अपीलीय अधिकारी को की जा सकती है। **आयोग द्वारा प्रासंगिक पत्रांक दिनांक 7 मई, 2018 एवं दिनांक 20 जुलाई, 2018 में मतदाता सूची में**

मतदाताओं के नाम विलोपित करने के क्रम में आयोग विशेष निर्देश हैं। कृपया आयोग के निर्देशों की पालना की जाना सुनिश्चित करें।

20.5 पुनरीक्षण कार्यक्रम के दौरान निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के निर्णय की अपील जिला निर्वाचन अधिकारी को की जायेगी।

21. **पूरक सूचियों की तैयारी एवं मतदाता सूचियों का अन्तिम प्रकाशन–** द्वितीय पुनरीक्षण कार्यक्रम की अवधि में प्राप्त दावे एवं आपत्तियों का निस्तारण ERO Net के माध्यम से निर्धारित दिनांक 20 सितम्बर, 2018 तक किया जायेगा।

21.1 वर्तमान पुनरीक्षण कार्यक्रम के दौरान मतदाता सूची में नाम जुडवाने, विलोपन करवाने एवं संशोधन हेतु प्राप्त आवेदन पत्रों **के बाद क्रमशः परिवर्धन, विलोपन एवं संशोधन की पूरक सूची–1 संबंधित जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा इस कार्य हेतु निर्धारित अनुबंधित फर्मों द्वारा जिला स्तर पर यथास्थिति** ERO Net के माध्यम से तैयार की जाएगी। अतः संबंधित निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी विभिन्न स्त्रोतों से प्राप्त होने वाले आवेदन पत्रों का निस्तारण ERO Net पर करें।

21.2. ऑफलाईन प्राप्त होने वाले आवेदन पत्रों की डेटा एन्ट्री नियमित रूप से दिन–प्रतिदिन अनुबंधित फर्म के माध्यम से करवाया जाएगा। **चूँकि मतदाता सूचियों की तैयारी एवं मुद्रण का कार्य जिला स्तर पर किया जाएगा, इसलिए जिला निर्वाचन अधिकारी (कलेक्टर) अपने जिले के लिए उक्त कार्य हेतु समस्त व्यवस्था करवाया जाना सुनिश्चित करें।**

21.3 पूरक सूचियों का मुद्रण ERO Net के माध्यम से भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश **दिनांक 8 अगस्त, 2008** में दिए गए निर्देशों के अनुसार तैयार किये गये सॉफ्टवेयर के माध्यम से किया जाएगा।

21.4 अन्तिम प्रकाशन के पश्चात पूरक सूचियों का एक सैट मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों/ग्राम पंचायत/नगरपालिका/नगर परिषद/नगर निगम को स्थायी तौर पर दिया जाए ताकि आम मतदाता इन निर्वाचक नामावलियों को अन्तिम प्रकाशन के पश्चात् पुनः देख सके और यदि कोई आपत्ति और सुझाव देना हो तो वे आवेदन पत्र जिला निर्वाचन अधिकारी या निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को प्रस्तुत कर सकें।

21.5. मतदाता सूचियों के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम के दौरान विभिन्न स्तर पर प्राप्त आवेदन पत्रों का निस्तारण एवं पूरक सूचियों की तैयारी ERO Net के माध्यम से की जाएगी। इस विषय में विस्तृत दिशा–निर्देश यथाशीघ्र प्रेषित किए जा रहे हैं।

22. मतदाता सूचियों के दिनांक 27 सितम्बर, 2018 को अंतिम प्रकाशन से पूर्व प्रपत्र 1–8 में सांख्यिकीय सूचना तैयार कर दिनांक 20 दिसम्बर, 2018 तक विभाग को प्रेषित की जानी है जिससे मतदाता सूची के अंतिम प्रकाशन हेतु निर्धारित दिनांक 27 सितम्बर, 2018 से पूर्व आयोग की अनुमति प्राप्त की जा सके।

23. **कन्ट्रोल रूम :**

दावे एवं आपत्तियॉ प्राप्त करने की अवधि दिनांक **25 जुलाई, 2018 से 27 सितम्बर, 2018** तक जिला स्तर एवं निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी/सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के कार्यालय में एक कन्ट्रोल रूम स्थापित किया जायेगा जिसमें पुनरीक्षण संबंधित समस्त सामग्री एवं दिशा–निर्देश रखे जायेंगे। कन्ट्रोल रूम में ऐसे कर्मचारियों को पदस्थापित किया जाये जिन्हें पुनरीक्षण प्रक्रिया की पूर्ण जानकारी हो। कन्ट्रोल रूम में एक शिकायत रजिस्टर रखा जाए जिसमें इस अवधि में प्राप्त होने वाली शिकायतों एवं समस्याओं को दर्ज किया जावे और इनके निस्तारण के लिये प्रतिदिन सक्षम अधिकारियों को रजिस्टर का अवलोकन करवाया जाये। कन्ट्रोल रूम के टेलीफोन नम्बर का व्यापक प्रचार–प्रसार किया जाये।

आयोग के दिशा निर्देशानुसार मतदाता सूचियों के पुनरीक्षण कार्यक्रम की क्रियान्विति निर्धारित समयावधि में पूर्ण की जाये। आयोग के निर्देशों को समस्त निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी तथा पुनरीक्षण कार्य से जुड़े अधिकारियों/कर्मचारियों के ध्यान में लायें।

कृपया पत्र की प्राप्ति से अवगत करायें।

संलग्नः उपरोक्तानुसार

भवदीया,

(डॉ0 रेखा गुप्ता)
अतिरिक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी,
राजस्थान, जयपुर।

क्रमांकः प.3(3)(1)रोल/निर्वा/**2**nd SSR-2018/2018/ **जयपुर, दिनांक**

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है –

1. निजी सचिव, मुख्य निर्वाचन अधिकारी, राजस्थान, जयपुर।
2. अति0 निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी, राजस्थान, जयपुर।
3. समस्त सम्भागीय आयुक्त (रोल पर्यवेक्षक) राजस्थान।
4. समस्त निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, राजस्थान।
5. समस्त अधिकारीगण, निर्वाचन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
6. संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी (आई.टी.) को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने बाबत्।
7. सांख्यिकी शाखा/भण्डार शाखा एवं लेखा शाखा, निर्वाचन विभाग, राजस्थान, जयपुर।

उप मुख्य निर्वाचन अधिकारी,
राजस्थान, जयपुर

वार्ड सभा का संक्षिप्त प्रतिवेदन – 2018

1. जिले का नाम : .....
2. विधानसभा क्षेत्र का नाम एवं नम्बर : .....
3. ग्राम पंचायत का नामः . ..... : वार्ड की क्रम संख्याः .....
4. वार्ड सभा आयोजन का दिनांक : .....
5. वार्ड सभा में उपस्थित नागरिकों की अनुमानित संख्या : .....
6. पुनरीक्षण से संबंधित आवश्यक दिशानिर्देश समझाये गये : हॉ/नहीं
7. क्या वार्ड सभा में मतदाता सूचियों को पढ़कर सुनाया गया : हॉ/नहीं
8. मतदाता सूचियों में नाम जोड़ने/हटाने एवं संशोधनों हेतु प्राप्त आवेदन पत्रों की संख्या : .....
9. पूर्व से पंजीकृत सत्यापित किये गये विशेष योग्यजनों की संख्या :

अ. मतदाता सूचियों के डेटाबेस में उपलब्ध विशेष योग्यजनों की संख्या :

ब. मतदाता सूची में पंजीकृत विशेष योग्यजनों की संख्या जिनका डेटाबेस में नाम नहीं है :

10. विशेष योग्यजनों को मतदान समय उपलब्ध करवाये जाने वाले संसाधनों की सूचना :

अ. Wheel Chair की आवश्यकता :

ब. अन्य संसाधन की आवश्यकता :

प्राप्त प्रपत्रों का विवरण					
मतदान केन्द्र संख्या	प्रपत्र–6	प्रपत्र–7	प्रपत्र–8	प्रपत्र–8क	प्रपत्र ईपिक–001
1	2	3	4	5	6

11. क्या आवेदन पत्रों पर टिप्पणी अंकित कर दी है? : हॉ/नहीं
12. वार्ड सभा में मतदाता सूचियों में सम्मिलित मतदाताओं के संबंध में यदि कोई विशेष सूचना प्राप्त हुई तो उसका संक्षिप्त विवरण अंकित करें। :

स्थानः
दिनांकः

निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा नियुक्त पदाभिहित अधिकारी के हस्ताक्षर

नोटः 1. यह प्रपत्र वार्ड सभा के लिये निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा नियुक्त पदाभिहित अधिकारी/कर्मचारी के द्वारा भरा जायेगा।

2. पदाभिहित अधिकारी द्वारा यह प्रपत्र निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के कार्यालय में वार्ड सभा में प्राप्त आवेदन पत्रों के साथ जमा करवाया जायेगा।

Advance Copy Addl. CEO को भिजवादी जानी है 16/7/18

By email

ELECTION COMMISSION OF INDIA

NirvachanSadan, Ashoka Road, New Delhi-110 001.

A separate VC to be organised to sensitise all ... Addl.CEO may chair VC.

Addl.CEO 17/7.

No.485/Comp/ERO-Net/2018 **Dated: 16.07.2018.**

To

The Chief Electoral Officers of
All the States/UTs.

Sub: Process for implementation of Integrated Contact Centre (ICC) for PwD Voter facilitation in ERO-Net – Reg.

Madam/Sir,

I am directed to inform you that during the National Consultation on Accessible Elections held by ECI on 3rd & 4th July,2018, it was brought to the notice of the Commission that PwD voters were facing difficulties in reaching the Electoral Registration Officer (ERO) office for new registration, detail change, migration request, deletion of names and accessing EPIC information.

The ECI has therefore decided to streamline the procedure to enable Integrated Contact Center (ICC) and ERO Net to facilitate PwD voters by providing them door-to-door services by the use of ICC and ERO-Net as per the following mechanism.

Accordingly, the Commission has decided to facilitate them through door-to-door services by the use of ICC and ERO-Net as per the following mechanism (flowchart attached):-

1. PWD Voters will make a call to ICC and the agent at National Contact Centre (NCC) or State Contact Centre will log the details (through voice email) into the National Grievance Service Portal (NGSP).
2. The details will be transmitted to the ERO-Net System where the Booth Level Officer (BLO) will be appointed within 3 days on receipt of the request.
3. The BLO will get the forms filled up by visiting door-to-door and thereafter entering the details in the ERO Net for processing of the order by ERO.
4. The details of the orders passed will be available to the ICC agent for responding to any telephonic/email queries regarding the process.

As the relevant ERO Net Application is to be launched on 31st July, 2018, you are accordingly requested to bring these instruction/ procedures to the notice of all concerned officials, well in advance.

Yours faithfully,

(AMIT KUMAR)
UNDER SECRETARY

By e-mail/Speed Post

ELECTION COMMISSION OF INDIA

NIRVACHAN SADAN, ASHOKA ROAD, NEW DELHI -110001

No.23/LET/ECI/FUNC/ERD-ER/2018 Dated: 20th July, 2018

To

The Chief Electoral Officers of
(i) Chhattisgarh, Raipur, (ii) Madhya Pradesh, Bhopal,
(iii) Mizoram, Aizawl and (iv) Rajasthan, Jaipur.

Subject: - 2nd Special Summary Revision of Photo Electoral Rolls w.r.t. 01.01.2018 as qualifying date - Clarification - regarding.

Sir/Madam,

I am directed to refer to the Commission's guidelines of even number dated 7th May 2018, on the subject cited, and to state that pre-revision activities are to be completed before the draft publication of electoral rolls with reference 01.01.2018 as the qualifying date:-

2. As per schedule, in most of the States House to House Field Verification is already over. During H2H, BLOs have collected following information:

a) Un-enrolled eligible citizens (eligible on 01.01.2018)
b) Multiple entries/dead electors/Permanently Shifted Electors
c) Correction in the ER entries. BLOs were to obtain necessary form of claims and objections from the concerned citizens/electors.

On completion of field verification, each BLO and each ERO shall furnish the certificate to the Chief Electoral Officer through DEO concerned, to the effect that details in respect of all the four items have been collected 100% without any left over.

It is clarified that disposal of claims and objections received in respect of eligible unenrolled citizens, multiple/dead/permanently shifted electors and corrections in existing entries has to be done before draft publication of electoral rolls following due prescribed procedure.

3. **Rationalization of Polling Stations and Formation of sections**: Under Section 25 of the Representation of the People Act, 1951 District Election Officer is responsible to create and setup polling stations. During pre-revision period, all the existing polling stations are to be verified whether

the existing buildings are in good conditions or within the prescribed limit and any change is required in the location due to poor condition of the building or if new suitable buildings are available. All the polling stations with electors beyond the said upper limit are to be rationalized/modified. While rationalizing polling stations or proposing change instructions contained in Manual on Polling Station, 2016 should be kept in mind. Proposal on change of location shall be sent to the Commission only after 100 % physical verification/inspection of the Polling area and the location. After completion of rationalization of polling station exercise and getting approval of the Commission and updation of control table of polling stations on ERO-Net thereafter, the draft electoral rolls will be prepared/generated and printed in accordance with the polling stations so finalized.

4. **Integration of Electoral Rolls**: As per the Commission's existing instructions, integration of all supplements shall be done every year before the draft publication of electoral roll. In other words, the supplement(s) of the last final roll and supplements(s) of the continuous updating period before the impending draft publication are to be integrated in a single basic electoral roll for publication as draft roll for ongoing summary revision of electoral roll.

It is clarified that before integration of roll, the supplements of continuous updation shall be first printed and kept in record after sharing the same with political parties and then integrated for publication of the draft roll, as this would ensure the tracking of changes made during continuous updation since the last final publication of the roll.

5. **Procedure of Deletion: The Commission has laid down the** following procedures for deletion of the names from electoral rolls are reiterated which shall be adopted irrespective of whether it is done before draft publication (during pre-revision) or during revision period:-

(i) **Removal of Repeat/Multiple Entries/Demographically Similar Entries (DSEs)**:-

(i) Repeat/Multiple Entries: In cases of repeated / multiple entries reported by individual citizens, BLAs of political parties and RWA representatives, the field verification must be done in each and every case. Checklist shall be generated and printed and given to concerned BLOs for field verification. Name of the elector should be retained in electoral roll only at the place where he is found to be ordinarily residing.

All existing entries relating to electors who are no longer eligible to continue in the electoral roll, like deceased, permanently shifted are to be deleted.

(ii) **Demographically Similar Entries (DSEs):** (a)DSEs are thrown by software, on the basis of electors' demographic details such as name, relation type, relation name, gender, DOB, age (exact/plus/minus 1 year).

(b) The ERO shall login and do table top verification on his computer monitor through image comparison of each of the probable DSEs. He shall sort out such entries and put them into 3 buckets – 'match/positive', 'not match/negative' and 'doubtful'.

(c)In respect of probable DSEs where more than one ERO are involved, all the concerned EROs will be able to see the entries relating to their AC as well as the entries repeating in other ACs and the EROs in consultation with each other have to decide as to in which bucket the said DSE should be kept.

(d) The 'not match/negative' entries shall be flagged in the database/UNPER and in future, they will no longer be treated as DSE. For the 'match/positive' and 'doubtful' cases field verification shall be done though BLO checklist and, necessary action will be taken by ERO.

(iii) In the cases of 'verified positive DSEs and Multiple Entries, found after BLO field verification through checklists, name of the elector shall be deleted from where he is not residing after obtaining Form 7 from him. The reference number of such Form-7 shall be entered into ERO-Net. If the concerned elector refuses to submit Form 7, ERO will take necessary action for deletion of his name after following due procedure of serving notice for proposed deletion.

(iv) Deletion process of DSEs/Multiple Entries involving more than one ERO –

a) If the probable DSEs/Multiple Entries relate to 'within part' or 'within AC', necessary action shall be taken by the concerned ERO.

b) In case of probable DSEs/Multiple Entries relate to across AC in a district, DEO concerned shall coordinate with all EROs of the constituency involved.

c) Concerned DEOs shall supervise the exercise of de-duplication if the probable DSEs/Multiple Entries relate to AC across districts.

d) Similarly, in case of probable DSEs/Multiple Entries relating to ACs across states CEOs of concerned states shall have to coordinate.

e) In event of difference of opinion between/among the EROs, field verification should invariably be done by each ERO and further action for deletion taken accordingly.

f) There may be a chance when the BLOs of different ACs may report about finding the said person ordinary residing at the given address in his part. In such case personal hearing must be fixed by the EROs to ascertain his actual place of ordinary residence.

(iii) **Removal of permanently shifted Electors**: -

(i) In the cases where the elector has shifted and the Booth Level Officer has been able to trace the shifted voter, a notice should be served upon the elector. Form 7 may be obtained from the elector for deletion of his name from the previous place.

(ii) If the Booth Level Officer is not able to trace the shifted elector, the notice should be pasted at the address of the elector available in the electoral database in presence of two adult witnesses, one from the family of the shifted elector and one from the immediate neighbourhood. If no family member of the elector is available, then, witness of two persons residing in the immediate neighborhood be taken. Deletion may be done after expiry of the notice period.

(iii) The Commission has directed that in case of mass permanent shifting, notice of proposed deletion of names of electors, who are no longer ordinary residents in that locality due to their mass shifting to another unknown places, shall be given in a local daily newspaper. Action for deletion of such names should be taken only after expiry of 7 days from the date of publication of notice in the said local daily and on the basis of response on notice, if any, received from persons concerned.

(iv) **Removal of Deceased Electors**:

In cases of deceased electors, Electoral Registration Officer can make deletion on the basis of death certificate from a competent authority (Registrar of Births & Deaths, Local Bodies, Sarpanch, Ward Member etc.) or Form 7 from immediate relatives/immediate neighbours/friends of the elector concerned after a field verification through BLO, or a report duly prepared by the Booth Level Officer with statements of at least two persons residing in the locality. In cases of dead electors, reported by BLAs/Political Parties/RWAs or other Indian citizens, field verification must be done and due procedure must be followed of issuing notice for removal of such entry.

6. **Safeguards against wrongful deletion of names from Electoral Rolls**:

(i) Electoral Registration Officer must take special care for deletion of names of EPIC holders. If an elector has multiple EPICs, all EPICs relating to the entries which have been deleted should be taken back from him and proper record of the same should be maintained.

(ii) Intimation about the deletion should be sent to the elector concerned through post or SMS / e-mail, in case mobile number/e-mail ID is available in the electoral database.

(iii) In addition to the above, the Electoral Registration Officer shall prepare part wise list of names proposed to be deleted from the electoral roll in any of the above grounds and display the same in his office for a period of at least 7 days from the date of pasting of the list. The said list shall be put on Chief Electoral Officer's website for public information and calling objections, if any. The said list also should be shared with recognized political parties.

(iv) After making deletions, the final deletion list should also be furnished to recognized political parties.

(v) The ERO shall maintain a daily monitoring register of all deletions made by him or his AEROs in the constituency during the period of continuous updation.

(vi) The District Election Officers shall monitor the process of deletions made by the Electoral Registration Officers in the assembly constituencies comprised within the districts under their jurisdiction. The Electoral Registration Officers shall do periodic reporting of progress of revision on ERO-Net dashboard. The District Election Officers shall verify the report made by all Electoral Registration Officers in his district. The Chief Electoral Officer shall keep a close watch on the deletions made by the Electoral Registration Officers in the state by visiting and verifying ERO-Net regularly.

(vii) In all the deletion cases where field verification is must, checklists shall invariably be generated and given to BLOs concerned for field verification and notice for proposed deletion be served in all cases except for registered death cases. For registered death cases, there is no need to issue any notice and outcome of field verification of checklist by BLO together with death certificate will suffice to delete the names of such deceased person from the electoral roll.

7. It has come to the notice that some EROs are avoiding disposal of Forms received during continuous updation period and H2H verification on the presumption that deletions/additions after disposal of such Forms may lead to major deviations in the existing E/P ratio and other health indicators of the electoral rolls. It is made amply clear that E/P ratio/Format 1-8 are merely monitoring tool and these should not be used as excuse to deny registration of genuine applicant or keeping entries

of ineligible electors in electoral roll. All the Forms relating to continuous updating period (pre-revision) shall invariably be disposed of before the draft publication as this is the statutory obligation of the ERO. It is further clarified that purpose of field check by AERO in respect of a part of electoral rolls where proposed addition of electors is 4% over previous electoral rolls is nothing but to avoid multiple entries/DSEs etc. in the electoral roll. It does not mean that there should not be more than 4% additions in electoral roll, if these additions are done in bonafide cases.

8. All the Forms received during continuous updating period (i.e with reference to 01.01.2018 as the qualifying date) shall be disposed of and registered death cases be removed from the roll after following due procedure and that too before the draft publication of electoral rolls. The supplements, arised due to disposal of the Forms (claims and objections) in respect of continuous updating, shall be prepared well before the draft publication of electoral rolls, 2018 and shared with political parties and kept in record without its publication, so that outcome of disposal of such Forms are taken into account in integrated draft electoral roll at the time of its publication, as the draft electoral rolls, so prepared would not contain any supplements.

9. The above instructions/clarifications may be brought to the notice of all concerned.

Yours faithfully,

(NARENDRA N. BUTOLIA)
PRINCIPAL SECRETARY

By e-mail/Speed Post

ELECTION COMMISSION OF INDIA

NIRVACHAN SADAN, ASHOKA ROAD, NEW DELHI -110001

No.23/LET/ECI/FUNC/ERD-ER/2018 Dated: 7th May, 2018

To

The Chief Electoral Officers of

1. Chhattisgarh, Raipur,
2. Madhya Pradesh, Bhopal,
3. Mizoram, Aizawl and
4. Rajasthan, Jaipur.

Subject: - 2nd Special Summary Revision of Photo Electoral Rolls w.r.t. 01.01.2018 as qualifying date - Programme - regarding.

Sir/Madam,

I am directed to state that the Commission, taking all aspects into consideration especially the impending general election to the Legislative Assembly in the States and with a view to providing further opportunity to un-enrolled eligible persons to get their names registered in the electoral roll so that they are not deprived of voting in elections and to improve the health of the electoral roll at the same time, has directed to undertake 2nd Special Summary Revision of Photo Electoral Rolls w.r.t. 01.01.2018 as qualifying date in the poll going States, namely Chhattisgarh, Madhya Pradesh, Mizoram and Rajasthan as per the schedule below:-

Sl. No.	Activities	Period
1.	**Pre-revision Activities** Preparation of publicity/training material and Cascaded training of Officers	Before 11th May 2018 (Friday)
2.	House to House Field verification by BLOs	15th May 2018 (Tuesday) to 20th June 2018 (Wednesday)
3.	Rationalization of Polling Stations and Physical verification of PS Buildings	21st June 2018 (Thursday) to 20th July 2018 (Friday)

4.	Preparation of supplements, integration and preparation of draft electoral roll	21st July 2018 (Saturday) to 30th July 2018 (Monday)
5.	**Revision Activities** Publication of Integrated draft electoral roll	On 31st July 2018 (Tuesday)
6.	Period for filing claims & objections	31st July 2018 (Tuesday) to 21st August 2018 (Tuesday)
7.	Disposal of claims and objections	Before 20th September 2018 (Thursday)
8.	Updating database and printing of supplement	Before 26th September 2018 (Wednesday)
9.	Final publication of electoral roll	On 27th September, 2018 (Thursday)

2. The Commission has decided that the revision shall be a Special Summary Revision with reference to 01.01.2018 as the qualifying date and shall be undertaken as per the above schedule, in accordance with provisions contained in Manual on Electoral Roll, 2016 along with subsequent relevant instructions.

3. The CEOs shall go through the schedule and if any minor change in the above schedule is required, a request should be made with full justification to the Secretary/Pr. Secretary in charge of the concerned territorial division in the Commission, for the Commission's approval within seven days from the date of issue of this letter. No change in the schedule approved by the Commission will be permitted, thereafter.

4. **Pre-revision activities**:- (i) As the revision of electoral rolls actually starts with draft publication of electoral rolls, various pre-revision activities are required to be completed well before the actual commencement of Revision of Electoral Rolls,with the sole intention of achieving high fidelity electoral rolls. Accordingly, pre-revision activities, like Training and Orientation of EROs/AEROs, Appointment of Booth Level Officers (BLOs) and their Training and Orientation, Identification of critical gaps/deviations in electoral rolls and strategy to bridge/remove the same, deletion of identified repeat/multiple entries/Demographically Similar Entries/dead electors entries after service of due notice, Rationalization of Polling Stations (including standardization and mapping of polling stations), determination of parts/section boundaries, optimization of sections

and preparation of improved digital maps of polling areas) along with 100% physical verification of Polling stations. Preparation of CEO's website for draft publication of integrated rolls and providing search facility, Standardization of search facility at website, updating of Control Tables (including polling stations updating) and database and integration of rolls and detailed SVEEP Campaign etc., shall be planned by the States/UTs and accomplished in time-bound manner as per the given schedule so as to ensure their successful completion before draft publication of electoral rolls . A detailed report on completion of pre-revision activities shall be sent by the Chief Electoral Officer to the Territorial Secretary/Pr.Secretary in charge.

(ii) It is further clarified that all the Forms received during continuous updating period shall be disposed of and registered death cases be removed from the roll after following due procedure. The supplements shall be prepared well before the draft publication of electoral rolls, 2018 and shared with political parties and kept in record without its publication, so that outcome of disposal of such Forms are taken into account in integrated draft electoral roll at the time of its publication.

5. **House to House Field Verification:** (i) For field verification, the BLOs will be given a pre-filled BLO register containing the details of existing electors in their respective part for H2H field visit and to get the said details verified from the head of the family. In addition to that, BLOs will collect the following information –

a) Un-enrolled eligible citizens (eligible on 01.01.2018)
b) Prospective voters (eligible on 01.01.2019)
c) Multiple entries/dead electors/Permanently Shifted Electors
d) Correction in the ER entries

(ii) On completion of field verification, each BLO and each ERO shall furnish the certificate to the Chief Electoral Officer through DEO concerned, to the effect that details in respect of all the four items have been collected 100% without any left over.

6. **Rationalization of Polling Stations and Formation of sections**: (i) As the Commission has decided to use VVPAT in all the future elections, no relaxation /deviation will be allowed in the upper limit of 1200 and 1400 electors in rural and urban polling stations respectively. The Commission has, therefore, directed all the polling stations with electors beyond the said upper limit will invariably be rationalized/modified as per the given schedule and before the draft publication of electoral rolls in accordance with instructions contained in Manual on Polling Station, 2016. A new Polling Station shall be created only after rationalizing the sections to the adjacent Polling Stations to the possible extent. Proposal on change of location shall be sent to the

Commission only after 100 % physical verification/inspection of the Polling Stations and along with its longitude and latitude. Latitude and Longitude of all Polling Stations, newly identified and proposed for creation/change of location of Polling Stations shall be captured and details of the same shall be updated in the ERO-Net Dashboard.

(ii) Other objectives of rationalization of polling stations are to group all the family members and neighbors in a section and maintain uniformity of addresses in ER and EPICs.

(iii) For proper formation of Sections the following units may be formed :–

a) Nuclear/Immediate family (Husband, Wife and eligible children)
b) Joint Family/Household (Group of several nuclear families related to each other and living at the same place)
c) Door /Flat No.
d) Building/Block/Tower consisting of a no. of doors/flats.
e) Street

(iv) Each of the above units may be given notional number and also their permanent number, if given by Civic Bodies, be captured by the BLOs, during House to House verification.

(v) While creating a new polling station or re-organizing the existing polling stations by creating/merging/ attaching sections to the adjacent polling stations, fulfillment of the following conditions should be ensured:

(a) No family is broken and all the registered family members are kept in the same section and at the same place,

(b) Electors residing in a building are enrolled in the same part,

(c) As far as possible electors residing in a Street are enrolled in the same part, and

(d) The electors of so merged/attached polling station are not required to travel for more than two Kilometer distance and to cross any natural barriers.

(vi) For rationalization and re-organization of the existing polling stations, an application is being developed by CDAC and in due course desktop version and Mobile App version will be made available on ERO Net for guidance of EROs/DEOs, which they can use, if required, or else CEOs may decide for manual rationalization.

7. **Preparation of Formats 1-8:** The electors' information in prescribed Formats 1-8 related to draft publication of the electoral roll shall be furnished by the CEO along with his studied comments and explanatory memoranda to the Commission well before draft publication. Every

DEO/ERO will do the similar study for his/her District/Assembly Constituency and forward the same to the CEO and also keep this ready for reference by Roll Observer/CEO. CEOs shall adopt the same methodology for estimation of projected 18+ populations (age cohort wise) on 01.01.2018 as prescribed by the Commission. The State/UT, who is at variance with the methodology, as suggested by the Commission, may use their own methodology; if they feel that it is more scientific and realistic in context of the concerned State and in such case CEO has to mention about the rationale behind keeping existing methodology in the Format 1-8.

8. **Display of list of claims and objections-** As per rule 16 of the Registration of Electors Rules, 1960, ERO shall prepare lists of claims and objections in form 9,10,11 and 11A and exhibit one copy of such lists on a notice board in the his office. Besides, list of all claims and objections received should be put up on the website of CEO so that citizens are able to see the list and lodge objections with the concerned ERO. In addition to this –

(i) Adequate publicity should be given by CEO to the fact that list of claims and objections is available on his/her website and objections can be raised before the EROs based on this list.

(ii) CEO, all DEOs and all EROs should hold meetings with political parties and inform them about the publication of list of claims and objections on CEO's website and the latest instructions of the Commission about disposal of claims and objections.

(iii) Political parties should be informed in writing by the CEO/DEO/ERO about publication of list of claims and objections on CEO's website.

(iv) List of claims and objections should be made available by ERO to all political parties on weekly basis. For this purpose, the ERO should call a meeting of all political parties on regular interval and personally handover list of claims and objections to them and obtain acknowledgment. It is to be added that the list should be incremental instead of cumulative.

9. **Decisions on Claims and Objections** - Decision on claims and objections should be taken only after all of the following conditions are complied –

(i) At least seven clear days' period has passed after list of claims and objections has been published on all of the following –

a) Website of CEO, as clickable lists for each polling station

b) Notice board of ERO (In Forms 9, 10, 11 and 11 A of RERs 1960)

c) Notice board of polling station (In Forms 9, 10, 11 and 11 A of RERs 1960)

d) A personal notice has been served on the person whose name is proposed to be deleted in cases other than death cases.

(ii) At least period of seven clear days has passed after furnishing the list of claims and objections to political parties.

10. Procedure of Deletion:

10.1 **Removal of Repeat/Multiple Entries/Demographically Similar Entries (DSEs):-**

(i) Repeat/Multiple Entries: In cases of repeated / multiple entries reported by individual citizens, BLAs of political parties and RWA representatives, the field verification must be done in each and every case. Checklist shall be generated and printed and given to concerned BLOs for field verification. Name of the elector should be retained in electoral roll only at the place where he is found to be ordinarily residing.

(ii) Demographically Similar Entries (DSEs): (a)DSEs are thrown by software, on the basis of electors' demographic details such as name, relation type, relation name, gender, DOB, age (exact/plus/minus 1 year).

(b) The ERO shall login and do table top verification on his computer monitor through image comparison of each of the probable DSEs. He shall sort out such entries and put them into 3 buckets –'match/positive', 'not match/negative' and 'doubtful'.

(c)In respect of probable DSEs where more than one ERO are involved, all the concerned EROs will be able to see the entries relating to their AC as well as the entries repeating in other ACs and the EROs in consultation with each other have to decide as to in which bucket the said DSE should be kept.

(d) The 'not match/negative' entries shall be flagged in the database/UNPER and in future, they will no longer be treated as DSE. For the 'match/positive' and 'doubtful' cases field verification shall be done though BLO checklist and, necessary action will be taken by ERO.

(iii) In the cases of 'verified positive DSEs and Multiple Entries, found after BLO field verification through checklists, name of the elector shall be deleted from where he is not residing after obtaining Form 7 from him. The reference number of such Form-7 shall be entered into ERO-Net. If the concerned elector refuses to submit Form 7, ERO will take necessary action for deletion of his name after following due procedure of serving notice for proposed deletion.

(iv) Deletion process of DSEs/Multiple Entries involving more than one ERO –

a) If the probable DSEs/Multiple Entries relate to 'within part' or 'within AC', necessary action shall be taken by the concerned ERO.

b) In case of probable DSEs/Multiple Entries relate to across AC in a district, DEO concerned shall coordinate with all EROs of the constituency involved.

c) Concerned DEOs shall supervise the exercise of de-duplication if the probable DSEs/Multiple Entries relate to AC across districts.

d) Similarly, in case of probable DSEs/Multiple Entries relating to ACs across states CEOs of concerned states shall have to coordinate.

e) In event of difference of opinion between/among the EROs, field verification should invariably be done by each ERO and further action for deletion taken accordingly.

f) There may be a chance when the BLOs of different ACs may report about finding the said person ordinary residing at the given address in his part. In such case personal hearing must be fixed by the EROs to ascertain his actual place of ordinary residence.

10.2 Removal of permanently shifted Electors: -

(i) In the cases where the elector has shifted and the Booth Level Officer has been able to trace the shifted voter, a notice should be served upon the elector. Form 7 may be obtained from the elector for deletion of his name from the previous place.

(ii) If the Booth Level Officer is not able to trace the shifted elector, the notice should be pasted at the address of the elector available in the electoral database in presence of two adult witnesses, one from the family of the shifted elector and one from the immediate neighbourhood. If no family member of the elector is available, then, witness of two persons residing in the immediate neighbourhood be taken. Deletion may be done after expiry of the notice period.

(iii) The Commission has directed that in case of mass permanent shifting, notice of proposed deletion of names of electors, who are no longer ordinary residents in that locality due to their mass shifting to another unknown places, shall be given in a local daily newspaper. Action for deletion of such names should be taken only after expiry of 7 days from the date of publication of notice in the said local daily and on the basis of response on notice, if any, received from persons concerned.

10.3. Removal of Deceased Electors:

In cases of deceased electors, Electoral Registration Officer can make deletion on the basis of death certificate from a competent authority (Registrar of Births & Deaths, Local Bodies, Sarpanch, Ward Member etc.) or Form 7 from immediate relatives/immediate neighbours/friends of the elector concerned after a field verification through BLO, or a report duly prepared by the Booth Level Officer with statements of at least two persons residing in the locality. In cases of dead electors, reported by BLAs/Political Parties/RWAs or other Indian citizens, field verification must be done and due procedure must be followed of issuing notice for removal of such entry.

10.4. **Safeguards against wrongful deletion of names from Electoral Rolls**:

(i) Electoral Registration Officer must take special care for deletion of names of EPIC holders. If an elector has multiple EPICs, all EPICs relating to the entries which have been deleted should be taken back from him and proper record of the same should be maintained.

(ii) Intimation about the deletion should be sent to the elector concerned through post or SMS / e-mail, in case mobile number/e-mail ID is available in the electoral database.

(iii) In addition to the above, the Electoral Registration Officer shall prepare part wise list of names proposed to be deleted from the electoral roll in any of the above grounds and display the same in his office for a period of at least 7 days from the date of pasting of the list. The said list shall be put on Chief Electoral Officer's website for public information and calling objections, if any. The said list also should be shared with recognized political parties.

(iv) After making deletions, the final deletion list should also be furnished to recognized political parties.

(v) The ERO shall maintain a daily monitoring register of all deletions made by him or his AEROs in the constituency during the period of continuous updation.

(vi) The District Election Officers shall monitor the process of deletions made by the Electoral Registration Officers in the assembly constituencies comprised within the districts under their jurisdiction. The Electoral Registration Officers shall do periodic reporting of progress of revision on ERO-Net dashboard. The District Election Officers shall verify the report made by all Electoral Registration Officers in his district. The Chief Electoral Officer shall keep a close watch on the deletions

made by the Electoral Registration Officers in the state by visiting and verifying ERO-Net regularly.

(vii) In all the deletion cases checklists shall invariably be generated and given to BLOs concerned for field verification and notice for proposed deletion to be served in all cases except for registered death cases. For registered death cases, there is no need to issue any notice and outcome of field verification of checklist by BLO together with death certificate will suffice to delete the names of such deceased person from the electoral roll.

10.5 **Mandatory verification before deletion of names from electoral rolls:**

All deletions except those done on the ground of death should be verified by an officer not below the rank of Tehsildar before final order is passed on Form 7.

ii. All cases of deletions must be cross verified personally by Electoral Registration Officer if they fall in any of the following categories: -

a) Deletions in polling stations where the number of deletions exceed 2% of the total electors in the voters' list of the polling stations.

b) Deletions where the same person is the objector in more than 5 cases.

iii. Cases of deletions other than those made on the ground of death should be cross verified by supervisory officers in the following manner:-

(1) 2 % verification by Deputy DEO or equivalent officer.

(2) 1 % verification by DEO.

(3) 0.5 % verification by Roll Observer.

11. Flagging of marked electors viz. MP/MLA/MLC, holders of declared offices and personalities from fields of arts, culture, journalism, sports, members of judiciary and public services etc.:

Electoral Registration Officers shall ensure that the names of all Members of Parliament and the State Legislatures, holders of declared offices, personalities from fields of arts, culture, journalism, sports, members of judiciary and public services are there in the proposed draft electoral roll. To avoid wrongful deletions of the names of such electors in future appropriate flagging should be done in the electoral database.

12. Flagging of Persons with Disabilities (PwDs) in Electoral Database: As Form-6 for enrolment in electoral roll has an optional field for giving information about disabilities, the Commission has directed that all the cases of PWDs electors who have given such information in

Form 6 should be flagged in the electoral database along with category of disability so that they can be provided necessary facilities at the polling station at the time of poll. It is made amply clear that such information of disability should not be reflected in electoral roll in any way. As the theme of this year is "Accessible Election", Chief Electoral Officer concerned should rope in the concerned department in the State dealing with persons with disabilities to get their assistance in mapping Persons with Disabilities. Chief Electoral Officer, if he feels it necessary, can utilize services of BLOs during H2H visits for collection of such data of PwDs from electors, who are willing to disclose their disabilities. Weekly progress report in this regard may be sent to Secretary/Principal Secretary in charge of the State to review the weekly progress.

13. **Supervision and Checks**: - (i) As already mentioned above, for the purpose of improving health of electoral roll, the Election Commission has emphasized the need of field verification by the Booth Level Officers. As per the normal practice being followed, the Electoral Registration Officer, after digitization of claims & objections received by him, deputes Booth Level Officer concerned to make field verification in connection with the claim or objection. The Booth Level Officer after on spot verification submits his report to the Electoral Registration Officer.

(ii) There is a mechanism for supervision and check for enforcing strict accountability of the work performed by the Booth Level Officers. The Supervisor who normally has 10 Booth Level Officers under his charge shall verify 5% of each of the Booth Level Officer's verification work under him.

(iii) Above the Supervisors, each Assistant Electoral Registration Officer should verify 1% of the BLO's verification work, randomly selected from different parts under him. Assistant Electoral Registration Officer shall field check households with more than 10 electors; abnormal gender ratio, and the first 20 polling stations with highest number of additions or deletions, under his charge.

(iv) Electoral Registration Officer shall test check the quality of disposal of claims & objections by his Assistant Electoral Registration Officers. He shall check **10%** of the Forms disposed by Assistant Electoral Registration Officers. Field verification should be carried out where felt necessary. Electoral Registration Officer shall hold regular monitoring meetings with Assistant Electoral Registration Officers, Supervisors and Booth Level Officers and ensure that the work is not being done in perfunctory manner. Delinquent officials should be taken to task and corrective measures taken swiftly because ultimately the accountability stops with Electoral Registration Officer and the Electoral Registration Officer is responsible for delivering an error free roll.

(iv) Every District Election Officer is also required to be actively involved in the revision exercise. District Election Officer should hold at least a meeting every fortnight and undertake **2%** checking of each of the Electoral Registration Officer's disposal of claims & objections.

(vi) The Chief Electoral Officer may also designate his own team or request the Election Commission to depute team for further state level checks as felt necessary. Ultimately it is for Chief Electoral Officer to seek the Election Commission's approval to publishing of rolls and for this the Chief Electoral Officer shall give a detailed report on state wide health check of the rolls in the prescribed formats (Format 1-8), deviations noticed, remedial action taken etc. The Chief Electoral Officer shall also furnish an account of the checks maintained and supervision undertaken during the roll revision process and give a certificate on his/her satisfaction on the quality of roll.

(vii) Assistant Electoral Registration Officer should separately field check 1% of the additions and deletions, giving focus on such part of electoral rolls where proposed addition of electors is 4% over previous electoral roll. Both, accepted as well as rejected cases, should also be checked in those cases.

14. **Monitoring**: EROs/ DEOs shall do periodic reporting of progress made during the revision process on ERO-Net Dashboard. The CEO shall monitor and verify the reporting made by EROs/DEOs. It is reiterated for absolute compliance by all the concerned that ERO-Net dash board shall be visited and verified regularly. Any lapse on part of the concerned officer shall expose him /her to disciplinary actions.

15.Observation:- In addition to Divisional Commissioners, who shall act as Electoral Roll Observers for districts comprised within their Divisions, the Commission may depute its observers/ECI officers/roll auditors to randomly check, audit and supervise the revision process. Hence, it is absolutely essential that all roll related records including reports of progress as well as lists of the locations where field operations are in progress, should be kept up to date and made available to the observers.

16. Meeting with Political Parties and sharing of electoral rolls: (i) All DEOs and CEO shall separately call meetings of political parties and explain the schedule and seek cooperation expected of them before the date of draft publication. The draft publication should be done on the approved date with due fanfare publicity and the copies of draft rolls should be handed over to recognized political parties in public meeting in the presence of press and media. In any case, proper acknowledgement receipts from the representatives of political parties must be obtained and kept in record.

(ii) The CEO should write to all recognized national and state level political parties informing them the important points of the law and procedures of the revision and seek their cooperation in the roll revision exercise. A copy of letter issued to them may be endorsed to the Commission for record.

(iii) List of claims and objections should also be made available by ERO to all political parties on weekly basis.

(iv) Two copies of complete set of draft Electoral Rolls and Final Electoral Rolls immediately after draft and final publication respectively shall be supplied free of cost to recognized political parties in accordance with the provisions of rule 11(c) and 22 (c) of Registration of Electors Rules, 1960.(Please refer to para 25.3 of Chapter 25 of Manual on Electoral Rolls, 2016 for detailed guidelines in the matter.)

(v) CEO will request to the recognized political parties to identify and appoint Booth Level Agent (BLA) for each polling station who would be associated with BLO during revision period. The BLOs will go through the draft electoral roll with BLAs of recognized political parties of State concerned and identify the corrections, etc. It is pertinent to mention that BLAs once appointed from a recognized political party will continue as BLA, unless their appointment is rescinded /revoked by the political party concerned.

(vi) With a view to ensure more involvement of political parties, the Commission has allowed BLAs of a recognized political parties to file applications in bulk, subject to the condition that a BLA shall not submit more than 10 Forms to BLO at one time/in one day. If a BLA files more than 30 Applications/Forms during entire period of filing claims and objections, then the cross verification must be done by ERO/AERO themselves. Further, the BLA will also submit a list of application forms with a declaration that he has personally verified the particulars of the application forms and is satisfied that they are correct.

17. **Transparency Measures**: In order to facilitate the stakeholders and bringing more transparency in the process of electoral registration, the practice of computerization and posting of all application forms received in Forms 6, 6A, 7, 8 and 8A on the website of the CEO on a day to day basis, shall continue, in addition to putting draft electoral roll, final electoral roll, list of claims and objections on CEOs' website and sharing of the same with recognized political parties. The CEO shall extract a report on status of disposal of claims and objections received during the revision from ERO-Net and put the same on his website on weekly basis, for information of general public/citizens.

18. **Publicity: -** Adequate publicity and awareness drive shall be ensured by DEOs and CEO regarding the summary revision programme. All the DEOs and CEO shall get the revision schedule properly disseminated to media, political parties and social organizations/RWAs and reach out to electors/eligible population extensively well before the date of draft publication of electoral rolls. For making the purpose of publication of draft rolls effective, series of SVEEP events, multiple and periodic meetings with political parties at Taluk, district and state levels and regular press meets may be organized.

19. **The Commission's approval for Final Publication:-** The CEO shall take prior written clearance of the Commission for final publication of the electoral rolls. A request to that effect shall be made to the Commission by the Chief Electoral Officer along with Formats 1-8 by **20th September, 2018** and with Formats 1-8 and memoranda/note mandatorily, explaining as to how the roll revision process has achieved the targets fixed and suggesting the strategy to address shortfalls, if any, during next continuous updation. This should, in any case, be done at least 5 days before the date of final publication, so that clearance of the Commission may be conveyed at least 3 days before the date of final publication.

20. It may further be noted that all communications and clarification relating to the revision should be addressed to the Pr. Secretary/Secretary (in charge of the State/UT) in the Commission who will not only reply to the CEO concerned without any delay but also ensure that there is no slippage in the roll revision programme of the States under their charge. They will closely monitor the pre-revision activities and roll revision programme of their respective States/UTs therefore, the CEOs must forward requisite report on progress of revision process at regular interval.

21. The CEOs and all officers are further requested to extensively use the e-mail facility for prompt and accurate exchange of communication.

22. A copy of this letter should also be circulated among all DEOs/EROs in the State for taking immediate appropriate necessary action.

Please acknowledge receipt.

Yours faithfully,

(NARENDRA N. BUTOLIA)
PRINCIPAL SECRETARY